

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2018/भाद्र 21, 1940

No. 350]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 12 सितम्बर, 2018

सं.भा स वि/मुख्यालय/एडीएम/अधिसूचना/2018/2.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिानियम 2008 की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए, निम्न अधिसूचना सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती हैः

क्रम	अध्यादेश	विवरण	कार्यकारिणी परिषद संकल्प
स.			
1	अध्यादेश 08 of	अनुभागीय अधिकारी पद के लिए नियुक्ति नियम	का का 2015-30-23 दि
	2015		25.02.2015. का का 2018-45-
			03 दि 16.04.2018 के तहत संशोधित
2	अध्यादेश 15 of	भा स वि पाठ्यक्रमों का पुनः मूल्यांकन, पुनः अंकगिनती	का का 2015-31-26 दि
	2015	और उत्तर पत्रों के फोटो प्रति जारी करने संबंधित	26.06.2015. का का 2018-46-
		नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश	20 दि 29.06.2018 के तहत
			संशोधित.
3	अध्यादेश 68 of	संबद्ध संस्थाानों के शिक्षण स्टाफ और प्रधानाध्यापकों	का का प. 2015-33-2018 दिनांक
	2015	के लिए योग्यता निर्धारित करने सम्बधित अध्यादेश	23.12.2015 और का का सं का प.
			2017- 38-4 दिनांक 28.03.2017 के
			तहत संशोधित
4	अध्यादेश 77 of	समुद्री प्रबंधन स्कूल में प्रोफसर पद (अर्थशास्त्र / वित्त	का का 2015-33-20 दि
	2015	और अर्थ) के लिए नियुक्ति नियम	23.12.2015. का का 2018-46-
			15 दि 29.06.2018 के तहत
			संशोधित
5	अध्यादेश 78 of	समुद्री प्रबंधन स्कूल में प्रोफसर पद (लॉजिस्टिक्स तथा	का का 2015-33-20 दि
	2015	आपूर्ति चेइन प्रबंधन/ बंदरगाह व पोत परिवहन प्रबंधन)	23.12.2015. का का 2018-46-
		के लिए नियुक्ति नियम	15 दि 29.06.2018 के तहत
			संशोधित

5380 GI/2018 (1)

6	अध्यादेश 03 of 2017	भा स वि परिसर में विद्यार्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करने वाले अध्यादेश	का का 2016-37-10 दि 23.12.2015. का का 2018-46- 17 दि 29.06.2018 के तहत संशोधित
7	अध्यादेश 11 of 2017	स्कूल—वार परीक्षा समिति का गठन तथा उसके गतिविधियों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश	का का 2017-39-10 दि 14.06.2017. का का 2018-46- 19 dated 29.06.2018 के तहत संशोधित
8.	अध्यादेश 24 of 2018	संबद्धता शुल्क निर्धारित करने वाले अध्यादेश	का का 2014—28—12 दि 26.6.2014 के तहत
9	अध्यादेश 25 of	गैर—अध्यापन वर्ग में ठेके कर्मचारी नियुक्ति के लिए	का का 2018-46-01 दि
	2018	नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश	29.06.2018
10	अध्यादेश 26 of	भा स वि के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता	का का 2018-46-14 दि
	2018	मापदंड निर्धारित करने वाले अध्यादेश	29.06.2018.
11	अध्यादेश 27 of	ठेके पर संकाय नियुक्ति के लिए नियम निर्धारित करने	का का 2018-46-23 दि
	2018	वाले अध्यादेश	29.06.2018.

(टिप्पणी: यदि **ऊपर** उल्लेख किए गए दस्तावेजों के हिंदी और इंग्लीश संस्करण में विसंगती हो, तो इंग्लीश संस्करण को सही माना जायेगा)

अध्यादेश 08 of 2015

का का 2015-30-23 दि 25.02.2015. का का 2018-45-03 दि 16.04.2018 के तहत संशोधित

अनुभागीय अधिकारी पद के लिए नियुक्ति नियम

1	पद का नाम	अनुभागीय अधिकारी
2	पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या
3	वर्गीकरण	प्रशासनिक पद, दल 'बी'
4	वेतनमान	वेतन बैंड रु9300- 34800 ग्रेड वेतन रु.4800 के साथ
5	चयन पद है कि गैर—चयन पद	चयन पद
6	आयु सीमा	सीधे नियुक्ति आयु: 45 वर्षों से अधिक न हो पदोन्नति आयु : कुछ नहीं प्रतिनियुक्ति आयु : 56 वर्षों से अधिक न हो अवशोषण: आयु : 59 वर्षों से अधिक न हों
7	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा सेवा अर्हता	सीधे नियुक्ति : शैक्षिक योग्यता : उपाधि, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का कार्यकारी ज्ञान सेवा अर्हता : ग्रेंड वेतन रु.4200 या समतुल्य के साथ रु.

	I	०२०० २४००० वेचन केंट्र में क्रेन्टीम / मान्य निम्नितासम मा नामान्य
		9300—34800 वेतन बैंड में केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षिक/ अनुसंधान संस्थाओं, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में प्रशासन/स्थापन/ वित्त/निगरानी/कानूनी/ दस्तावेजीकरण/शैक्षिक/ परीक्षा के क्षेत्रों में कम से कम 5 वर्षों का कार्यकारी अनुभव
		पदोन्नति
		शैक्षिक अर्हता : उपाधि, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का कार्यकारी ज्ञान
		सेवा अर्हता : कम से कम नियमित सेवा के 8 वर्षों के साथ वरिष्ठ सहायक या समतुल्य से
		प्रतिनियुक्ति : एक व्यक्ति जो नियमित तौर पर अनुरूप पद वहन करते है या ग्रेड वेतन रु.4200 के साथ रु.9300—34800 वेतन बैंड में किसी केन्द्रीय/राज्य सरकारी या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में प्रशासन/स्थापन/वित्त/निगरानी/कानूनी/ दस्तावेजीकरण/शैक्षिक/परीक्षा के क्षेत्रों में वरिष्ठ सहायक या समतुल्य पद में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव
		अवशोषण : एक प्रतिनियुक्तिकार जिन्होंने भा स वि में 3 वर्ष अवधि का निम्नतम अनुभागीय अधिकारी के रूप में संतुष्टजनक कार्य किया हो, उनकी मातृत्व संगठन से स्वीकृति के साथ
		पदोन्नतिकारों के प्रकरण में जो शैक्षिक अर्हता है वही प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण में लागू होगी।
		रिक्तियों में नियुक्ति हेतु अगर पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार न मिलें तो सेवा अर्हताओं को शिथिल करने के लिए कार्यकारिणी समिति के पास अधिकार आरक्षित है।
8	नियुक्ति तरीका, सीधे नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों को प्रयोग करते हुए रिक्तियों में	पदोन्नति के जरिये : 50 प्रतिशत सीधे नियुक्ति के जरिये : 50 प्रतिशत चूकने पर प्रतिनियुक्ति/अवशोषण के जरिये
	नियुक्ति प्रतिशत	ऑनलाइन/ऑफलायन स्क्रिनिंग परीक्षा तथा साक्षात्कार के जरिये सीधे नियुक्ति की जाएगी।
		पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अवशोषण के प्रकरण में ऑनलाइन/ऑफलाइन स्क्रिनिंग की जरूरत नहीं है। (मात्र साक्षात्कार)
9	अगर विभागीय पदोन्नित समिति/	(i) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव
	नियुक्ति समिति उपलब्ध है तो, उसकी गठन कैसे की जाती है?	(ii) कुलपति द्वारा नामांकित एक परिसर निदेशक
10		(iii) कुलपति का दो नामिती
10	टिप्पणी	सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष प्रतिनियुक्तियों के लिए, प्रायोजित करने वाले विभाग/ एजेन्सी का
		संबंधित आयु, अधिकतम 60 वर्ष के तहत लागू होगी।
		- 1

अध्यादेश 15/2015

(का का 2015-31-26 दि 26.06.2015. का का 2018-46-20 दि 29.06.2018 के तहत संशोधित.)

भा स वि पाठ्यक्रमों के पुनः मूल्यांकन, पुनः अंकगिनती और उत्तर पुस्तिकाओं के फोटो प्रति जारी करने संबंधित नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश

1. मूल्यांकन प्रक्रिया

1.1. परीक्षा अनुभाग (मुख्यालय) द्वारा नियत संबंधित अंचल में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोजित की जाएगी।

- 1.2. नियुक्त आंचलिक सहसमन्वयक द्वारा अंकों को दर्ज करने हेतु ओएमआर शीट के साथ परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं सौपी जाएगी
- 1.3. उत्तर पुस्तिका में प्रदान किये गये प्रथम शीट मात्र में ही परीक्षक अंक दर्ज करेंगे।
- 1.4. परीक्षक को उत्तर पुस्तिका में काई निशान नहीं लगाना है क्योंकि इन उत्तर पुस्तिकाओं को भविष्य में पुनः मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इससे द्वितीय तथा तृतीय परीक्षक (जहाँ आवश्यकता पड़ें) द्वारा पूर्व मूल्यांकन की ओर पक्षपातपूर्ण होने से रोक पाएँगे।
- 1.5. उत्तर पुस्तिकाओं में किसी निशान लगाते हुए किसी परीक्षक को पाया जाए तो उन्हें एक वर्ष के लिए परीक्षक बनने से निषेध किया जाएगा। ऐसे निषेध किये गये परीक्षकों की सूची का रखरखाव परीक्षा अनुभाग द्वारा किया जाएगा।(मुख्यालय)
- 1.6. एक परीक्षा सत्र में प्रत्येक परीक्षक को अधिकतम 1000 उत्तर पुस्तिकाओं का तथा निम्नतम 50 उत्तर पुस्तिकाओं का प्रति दिन जाँच करना होगा। अगर संकाय की कमी या किसी अन्य कारण से एक विशिष्ट परीक्षक द्वारा और अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना पड़े तो आंचलिक सह समन्वयक द्वारा परीक्षा नियंत्रक से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- 1.7. स्नातक पाठ्यक्रम के उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन करके उससे संबंधित अंकों को ओएमआर शीटों पर दर्ज करना है। परिणाम प्रक्रियाकरण हेतु आंचलिक सहसमन्वयक के जरिये परीक्षा अनुभाग (मुख्यालय) को ओएमआर शीटों को भेजना है।
- 1.8. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उत्तरपुस्तिकाओं का दो समकालिक मूल्यांकन सम्मिलित होगी। दोनों मूल्यांकन का औसतम ही विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक होगी। जब प्रथम और द्वितीय मूल्यांकन के बीच 100 अंकों के लिए 15 अंकों का अंतर पाया जाएगा, उस उत्तर पुस्तिका को तृतीय मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। सभी तीन मूलयांकनों के औसतम ही अंतिम अंक होगी।
- 1.9. स्कूल बोर्ड द्वारा सिफारिश किये जाने पर, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विशेषीकृत विषय के लिए द्वि–मूल्यांकन से छूट दी जा सकती है।

2. फोटो प्रतियाँ जारी करना

- 2.1. उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रतियाँ अनुत्तीर्ण छात्रों को मात्र, पृष्ठों की संख्या पर ध्यान दिये बिना तथा डाक खर्च सम्मिलित करके प्रत्येक विषय के लिए रु.80/— की समान शुल्क जमा करने पर जारी की जाएगी
- 2.2. परीक्षा फलों की घोषणा से 3 दिनों के अन्दर आवेदन किया जाएगा।
- 2.3. सत्रांत शुल्क को भारतीय स्टेट बैंक के आई—कलेक्ट के जिरये भुगतान करना पड़ेगा या निधियों के अंतरण का किसी एलक्ट्रानिक/ऑनलाइन मोड के जिरये या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी ऐसे अन्य तरीकों से जमा करना पड़ेगा।
- 2.4. अगर उत्तर पुस्तिकों को स्केन करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रस्तावित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा तो भविष्य में फोटोप्रति जारी करने संबंधित प्रक्रिया को रोक दिया जा सकता है।

3. पुनः मूल्यांकन प्रयोग प्रक्रिया

- 3.1 उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन को, स्नातक पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले एंड सत्र परीक्षाओं के लिए मात्र विचार किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन, स्नातकोत्तर परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं, क्षेत्रीय कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, पत्र के बदले शोध प्रबंध समर्पन और परीक्षाएं जिनके लिए दो स्वतंत्र मूल्यांकनों (द्वि) के लिए प्रावधान है उस स्थिति में विचार नहीं की जाएगी।
- 3.2 पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन को निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा और उसे संबंधित परिसर/ कॉलेज के जरिये भेजना है।
- 3.3 उस परीक्षा सत्र के दौरान अभ्यर्थी द्वारा लिखित कुल पत्रों की संख्या में से पॉच से अधिक पत्रों से अनुत्तीर्ण न होने पर ही मूल्यांकन के लिए आवेदन स्वीकृत की जाएगी।
- 3.4 पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन को विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा बताये न जाने पर, परिणाम प्रकाशन से 10 दिनों के अन्दर समर्पित करना है ।
- 3.5 निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी पिरिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित दस्तावेज संलग्न न करते हुए, अपूर्ण आवेदन तथा आवेदनों को किसी भी कारण न बताते हुए धिक्कार किया जा सकता है।

3.6 उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए एक बार जमा किये गये रकम को वापस नहीं किया जाएगा।

4. पुनः मूल्यांकन मार्गदर्शिकाएँ

- 4.1 पुनः मूल्यांकन के उत्तर पुस्तिका को उसी परीक्षक को मूल्यांकन नहीं करना है, जिन्होंने प्रथम बार मूल्यांकन किया था।
- 4.2 पुनः मूल्यांकन के उत्तर पुस्तिका को, अभ्यर्थी उस परीक्षा लिखने के पूर्व जिस परिसर/कॉलेज में पढ़े थे, वहाँ के परीक्षक को मुल्यांकन नहीं करना है बशर्तें कि उस परिसर/कॉलेज में मात्र ही उस पत्र पढ़ाया जाए।
- 4.3 पुनः मूल्यांकन के लिए परीक्षक को प्रत्येक सत्र 25 उत्तर पुस्तिकाओं से अधिक नहीं देना है।
- 4.4 पुनः मूल्यांकन के बाद (या तो द्वितीय या तृतीय) पुनः मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पर ध्यान दिये बिना, परिणाम सूची में अपलोड किया जाएगा और अंक सूची में हालही के अंक का उल्लेख किया जाएगा।
- 4.5 पुनः मूल्यांकन या पुनः अंकगिनती के लिए आवेदित अभ्यर्थियो के अंक सूची को पुनः मूल्यांकन/ पुनः अंकगिनती प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही जारी की जाएगी।
- 4.6 अगर एक परीक्षक का कार्य, पुनः मूल्याकन में अंकों में उत्तर पुस्तकों के 20 प्रतिशत से अधिक में वृद्धि या घटाव की ओर ले चलेगी तो, संबंधित परीक्षक से उचित चेनल के जरिये स्पष्टीकरण माँगा जाएगा और उस उत्तर को आगे की कार्यवाही के लिए कुलपति के सामने पेश की जाएगी।
- 4.7 जब प्रथम और द्वितीय मूल्यांकन के बीच 100 अंकों के लिए 15 अंकों का अंतर पाया जाएगा, उस उत्तर पुस्तिका को तृतीय मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। सभी तीन मूल्यांकनों के औसतम ही अंतिम अंक होगी।
- 4.8 पुनः मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों को गोपनीय माना जाएगा और इसलिए अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं की जाएगी।
- 4.9 भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अनुमोदित दरों पर पुनः मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
- 4.10 परिसर/ कॉलेज के निदेशक/ प्राध्यापक को परीक्षा नियंत्रक द्वारा आबंटित तारीख व दिन को प्राथमिकता पर, आवश्यक परीक्षक मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराना है (पुनः मूल्यांकन/ पुनः अंकगिनती सम्मिलित)
- 4.11 उच्च प्राथिमकता आधार पर मूल्यांकन (पुनः मूल्यांकन / पुनः अंकिंगिनती) कार्य में संबद्ध कालेजों के संकाय को भाग लेना है। अगर संबद्धता प्राप्त कॉलेज के प्राध्यापक मूल्यांकन के लिए संकाय (पुनः मूल्यांकन / पुनः अंकि गिनती सिम्मिलित करके) को रिलीव नहीं करेंगे या संबंधित संकाय मूल्यांकन के कार्य में भाग लेने से चूकेंगे (पुनः मूल्यांकन / पुनः अंकिंगिनती) तो संबंधित संकाय को तीन वर्षों के लिए निषेध किया जाएगा। इससे संबंधित कालेज के संबद्धता जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकती है।

5. पूनः अकगिनती

- 5.1. प्रायोगिक परीक्षाएँ, क्षेत्रीय कार्य, आंतरिक प्राकलन, पत्र के बदले समर्पित शोध के अलावा, स्नातक परीक्षाएं, स्नातकोत्तर परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाएं की पुनः अंक गिनती के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- 5.2. पुनः अंकगिनती के लिए आवेदन को निर्धारित प्रारूप में करना है और इसे संस्था के संबंधित अध्यक्ष के जरिये भेजना
- 5.4. एक बार उत्तर पुस्तिकाओं के पून अंकगिनती के लिए जमा किये गये शुल्क को वापस नहीं की जाएगी।
- 5.5. पुनः अंकगिनती संबंधित सभी कार्यों को गोपनीय माना जाएगा और इसलिए इस पर अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं की जाएगी।
- 5.6. पुनः अंकगिनती के लिए आवेदन पत्र को जबतक कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, परीक्षा परिणाम प्रकाशित किये जाने से 10 दिनों के अन्दर कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।
- 5.7. परीक्षा नियत्रक द्वारा नामित सकाय द्वारा पुनः अकगिनती की जाएगी।
- 5.8. प्राप्त अंकों के पुनः अंकगिनती के बाद, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो, इस पर ध्यान न देते हुए, पुनः अंकगिनती में प्राप्त अंकों को अंतिम परिणाम पर ध्यान दिये बिना, परिणाम पत्र में अपलोड किया जाएगा और हालही में प्राप्त अंकों को अंक सूची में उल्लिखित किया जाएगा।

6. कृपांक

अध्यादेश 11/2017 के अनुसार और जैसे समय समय पर संशोधन किया जाए। इस संबंध में पूर्व के सभी अध्यादेशों का इस अध्यादेश अधिक्रमण करेगा।

अध्यादेश 68 of 2015

कार्यकारी परिषद संकल्प सं का प. 2015.33.2018 दिनांक 23.12.2015 और का का सं का प. 2017-38-04 दिनांक 28.03.2017 के तहत संशोधित

संबद्ध संस्थाानों के शिक्षण स्टाफ और प्रधानाध्यापकों के लिए योग्यता निर्धारित करने सम्बधित अध्यादेश

I. संबद्ध संस्थानों में समुद्री अध्ययन के स्कूल में शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता

1	पद का नाम	संकाय के सभी पोस्ट
2	नियुक्ति की विधि	सीधी भर्ती द्वारा
3	शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता	(क) मास्टर (विदेश) योग्यता का प्रमाण पत्र (ख) सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव तथा
		(ग) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । प्रासंगित अनुशासन में एक पी.एच.डी के साथ उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।
4	सेवानिवृत्ति की आयु	65 साल
5	टिप्पणियाँ	 संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन आँन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा ।
		2. पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नहीं, इस पर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा ।
		3. सहायक प्रोफेसर के रूप में जो 01.01.2016 से संबद्ध संस्थानों में सेवा में हैं, और जो उपर योग्यता पंक्ति 3 (ग) में निर्धारित पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।

II. संबद्ध संस्थानों में मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल में शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता

1	पद का नाम	संकाय के सभी पोस्ट
2	नियुक्ति की विधि	सीधी भर्ती द्वारा
3	शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता	(क) एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी (ख) सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अविध के लिए नौकायन अनुभव तथा (ग)भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । प्रासंगिक अनुशासन में एक पी.एच.डी के साथ उम्मीदवारों को पात्रता
		परीक्षा से छूट दी गई है ।
4	सेवानिवृत्ति की आयु	65 साल
5	टिप्पणियाँ	 संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन आँन तथा साइन आँफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा ।
		2. पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नहीं, इस पर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा ।
		3. सहायक प्रोफेसर के रूप में जो 01.01.2016 से संबद्ध संस्थानों में
		सेवा में हैं, और जो उपर योग्यता पंक्ति 3 में संकेत (क) और
		(ख) पूरा पूरा करता है, उनको पंक्ति 3 में (ग) में निर्धारित पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।

III. संबद्ध संस्थानों में प्रिंसिपलों के लिए निर्धारित योग्यता

1	पद का नाम	प्रिंसिपल
2	नियुत्ति की विधि	सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा

3	शैक्षिक और अन्य योग्यता की	वर्ग । : पी.एच.डी. के बिना मेराइनर्स से
	आवश्यकता	अ. मास्टर (विदेश गमन) योग्यता का प्रमाण पत्र / एमईओ क्लास १
		(मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी; और
		आ. सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर दो साल की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव तथा
		इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम दस वर्षों का अनुभव
		(i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव [उपरोक्त (आ) में निर्धारित निम्नतम दो साल के अलावा]
		(ii) एक मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में समुद्री विज्ञान/ समुद्री इंजीनियरी शिक्षण
		(iii) जहाजरानी महानिदेशालय या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकृत सोसाइटी में नॉटिकल /इंजीनियरी सर्वेक्षक
		(iv) विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक
		(v) एक प्रमुख बंदरगाह में पायलट (या)
		वर्ग II : पी.एच.डी. के साथ मेराइनर्स से
		अ. मास्टर (विदेश गमन) योग्यता का प्रमाण पत्र / एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी; और
		आ. सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव तथा इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम आठ वर्षों का अनुभव
		(i) प्रबंधन स्तर में नौकायान अनुभव [उपरोक्त (आ) में निर्धारित निम्नतम छह महीने के अलावा]
		(ii) एक मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में समुद्री विज्ञान/ समुद्री इंजीनियरी शिक्षण
		(iii) जहाजरानी महानिदेशालय या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकृत सोसाइटी में नाटिकल /इंजीनियरी सर्वेक्षक
		(iv) विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक
		(v) एक प्रमुख बंदरगाह में पायलट
4	सेवानिवृत्ति की आयु	70 साल
5	टिप्पणियाँ	 संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा । भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय
		(i) कि क्या पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नही (ii) कि क्या अनुभव जहाज मालिक या जहाज प्रबंध कंपनी या एक समुद्री प्रशिक्षण संस्थान में गिना जाना चाहिए या नहीं इस पर अंतिम रहेगा ।
		3. पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अईक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा । 4. यदि संबद्ध संस्थान ने केवल समुद्री अध्ययन के स्कूल या मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल कार्यक्रम की पेशकश की है, तो प्रधान सम्बन्धित विषय में योग्य होना चाहिए ।
L		का मुलान व ना नव वन मुना भाभ लागा भाएर ।

	5. यदि संबद्ध संस्थान ने समुद्री अध्ययन के साथ ही समुद्री इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल कार्यक्रम की पेशकश की है, तो प्रधान कोई भी अनुशासन में योग्य हो सकते हैं।
--	--

अध्यादेश <u>77 / 2015</u>

का का 2015-33-20 दि 23.12.2015. का का 2018-46-15 दि 29.06.2018 के तहत संशोधित समुद्री प्रबंधन स्कूल में प्रोफसर पद (अर्थशास्त्र / वित्त और अर्थ) के लिए नियुक्ति नियम.

1.	पद का नाम	प्रोफसर
2.	पदों की संख्या	1
3.	विशेषीकरण	अर्थशास्त्र/ वित्त तथा लेखांकन
4.	वर्गीकरण	शैक्षिक पद
5.	वेतनमान	स्तर 14 — 7वीं सीपीसी
6.	चयन पद या गैर-चयन	चयन पद
	पद है ।	
7.	आयु सीमा	60
8.	सीधे नियुक्ति के लिए	आवश्यक :
	आवश्यक शैक्षिक तथा	(a) संबंधित विषय में दोनों स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत
	अन्य योग्यताएँ	रनातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ
		बेहतर शैक्षणिक रेकार्ड
		या
		रनातक स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ और
		व्यावसायिक तौर पर अर्हता प्रापत सनदी लेखाकार/ लागत और प्रबंधन
		लेखाकार में अच्छे शैक्षणिक रेकार्ड
		(a) संबंधित विषय में पी.एचडी
		(b) संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का निम्नतम अध्यापन/अनुसंधान/ उद्योग
		अनुभव जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष को एक विश्वविद्यालय, कॉलेज
		या अनुसंधान संस्थान में असोसियेट प्रोफसर स्तर का अनुभव होना है।
		वांछनीय
		(a) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान
		प्रपत्र / पॉलिसी प्रपत्र जैसे अनुसंधान प्रकाशन
		(b) पी.एचडी छात्रों को निदेशन करने संबंधित अनुभव
9.	परीवीक्षणावधि	एक वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	भा स वि संविधियों के अनुसार.
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी
		के लेने अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/

		नौकायन/ अनुसंधान के लिए भा स वि के शर्त व निबंधन के तहत उपयोग कर सकते हैं।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगी। b) अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी। c) शैक्षिक योग्यताओं को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना होगा। d) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरुआत पर विचार किया जाएगा। e) विशेषज्ञ जाँच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता की संगतता पर जांच की जाएगी।

अध्यादेश 78/ 2015

का का 2015-33-20 दि 23.12.2015. का का 2018-46-15 दि 29.06.2018 के तहत संशोधित समुद्री प्रबंधन स्कूल में प्रोफसर पद (लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति चेइन प्रबंधन/ बंदरगाह व पोत परिवहन प्रबंधन) के लिए नियुक्ति नियम

		,
1.	पद का नाम	a) प्रोफेसर
2.	पदों की संख्या	1
3.	विशेषीकरण	लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति चेइन प्रबंधन तथा पोत परिवहन प्रबंधन
4.	वर्गीकरण	शैक्षिक पद
5.	वेतनमान	a) स्तर 14 — एवं सीपीसी
6.	चयन पद या गैर-चयन	a) चयन पद
	पद है ।	
7.	आयु सीमा	60
8.	सीधे नियुक्ति के लिए	आवश्यक :
	आवश्यक शैक्षिक तथा	a) संबंधित विषय में दोनों स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर या एकीकृत
	अन्य योग्यताएँ	रनातकोत्तर स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के
		साथ अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड
		या
		रनातक स्तर में कम से कम 55 प्रतिशत या समतुल्य श्रेणी के साथ अच्छे
		शैक्षिक रिकार्ड तथा व्यावसायिक तौर पर अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार/
		लागत और प्रबंधन लेखाकार
		a) संबंधित विषय में पी.एचडी
		b) संबंधित क्षेत्र में निम्नतम दस वर्षों का अध्यापन/ अनुसंधान/ उद्योग

		अनुभव जिसमें से पाँच वर्ष विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था
		स्तर में असोसियेट प्रोफसर का हो।
		वांछनीय
		c) यूजीसी नियमों के अनुसार पुस्तक/ अनुसंधान प्रपत्र/ पॉलिसी पत्र
		जैसे अनुसंधान प्रकाशन ।
		d) पी.एचडी छात्रों को निर्देशन देने संबंधित अनुभव
9.	परीवीक्षणावधि	एक वर्ष
10.	चयन समिति की रचना	भा स वि संविधियों के अनुसार
11.	अतिरिक्त सेवा लाभ	भा स वि में सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ति पर, संकाय 6 महीने विशेष छुट्टी
		के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिन्हें उच्च अध्ययन/ औद्योगिक प्रकटन/
		नौकायन/ अनुसंघान के लिए भा स वि शर्त व निबंधन के तहत उपयोग कर
		सकते हैं।
12.	सेवानिवत्ति आयु	65 वर्ष
10	AA	
13.	टिप्पणी	a) भारत सरकार / यूजीसी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
		b) अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति
		के लिए अंतिम तिथि होगी।
		c) शैक्षिक योग्यताओं को सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त
		विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से प्राप्त करना होगा।
		d) योग्य प्रकरणों में वेतन बैंड में उच्चतम शुरुआत पर विचार किया जाएगा।
		e) विशेषज्ञ जांच पडताल समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रिनिंग और अर्हता
		की संगतता पर जांच की जाएगी ।

अध्यादेश 03/ 2017

का का 2016.37.10 दि 23.12.2015. का का 2018.46.17 दि 29.06.2018 के तहत संशोधित भा स वि परिसर में विद्यार्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करने वाले अध्यादेश

- 1. यह आदर्श आचार संहिता भा स वि के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगी, चाहे संहिता की शुरुआत के पूर्व प्रवेश लिया हो या बाद में, और यह परिसर में या परिसर से बाहर जो भी घटना घटेगी उन सभी पर लागू होगी।
- 2. भा स वि के किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों का समूह निम्न कार्यों में पड़ेंगे जो अनुशासनहीन है या दुव्यवहार है
 - (i) किसी भी प्रकार का रेगिंग
 - (ii) किसी भी प्रकार का यौवनीय उत्पीडन जिसमें निम्न सिम्मिलित होंगे :
 अनामंत्रित यौवनीय प्रस्ताव/तरक्की, शरीर पर यौवनीय ग्राफिक टिप्पणियां, अनामंत्रित छूना, शरीर के अंगों का तपकी, चुभकी या
 बुरी नज़र या लगातार आपत्तिजनक या अनामंत्रित यौवनीय व्यंग्य और/या टिप्पणी
 - (iii) महिला विद्यार्थियों, छेड़खानी, महिला कर्मचारी सदस्य/आगन्तुक के साथ अनादर व्यवहार या दुव्यर्वहार
 - (iv) विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार का अपराध

- (a) सार्वजनिक क्षेत्र में, किसी जगह में विकलांगता के साथ व्यक्ति को अपमानित करने या जानबुझकर अपमान करना
- (b) उन्हें अनादर करने के लिए किसी विकलांग व्यक्ति पर बल का प्रयोग करना या मारना या विकलांग औरत के शील का अपमान
- (c) स्वयं या जानबूझकर विकलागता के साथ व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव या नियंत्रण रखना और उन्हें द्रव या खाद्य से विचत करना
- (d) विकलांगता के साथ बच्चे या औरत के इच्छा पर हावी डालने की स्थिति में रहना और यौवनीय तौर पर उस स्थिति का उपयोग करना
- (e) विकलांगता के साथ व्यक्ति के किसी समर्थन उपस्कर या किसी अंग को उपयोग करने पर हस्तक्षेप करना या आप घाव या क्षति पहुंचाना
 - अपराध 4 (ए से ई) के लिए, विकलागता अधिनियम 2016 के साथ व्यक्तियों के अधिकार के अनुसार दंडनीय है।
- (v) विद्यार्थियों या कर्मचारियों के बीच सांप्रदायिक, जाति या क्षेत्रीय सचेत या असामंजस्यता उत्पन्न करना
- (vi) खतरनाक औषधि, शराब या मादक द्रव्यों को रखना या उपभोग करना
- (vii) सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करना
- (viii) जुआ कार्यों में लगना
- (ix) नैतिक अधमता के कार्यों में लगना
- (x) विश्वविद्यालय के किसी संपत्ति या कर्मचारियों के संपत्ति को क्षिति पहुँचाना या विकृत करना या अनाधिकृत परिवर्तन करना
- (xi) कमरे, कपबोर्ड, सेफ, लॉकर और ऐसे ही वस्तुओं को तोडना और विश्वविद्यालय के खुले कमरों का अनाधिकृत बंद करना
- (xii) वर्ग, ग्रन्थालय, प्रयोगशालॉ, कार्यशालाएं, केन्टीन, मेस, छात्रावास या कार्यालय के सरल कार्यात्मकता पर प्रतिरोध डालना
- (xiii) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी या विश्वविद्यालय के आगन्तुक से अभद्र, अपवादक, अनादरपूर्ण या आक्रामक भाषा का उपयोग करना
- (xiv) पत्थर तथा अन्य सामग्री फेंकना सम्मिलित करके सभी भौतिक हिंसा कार्य
- (xv) गलत रोकथाम, घेरो, घेराबंदी, सिट—इन, प्रवेश तथा निकासी पर ब्लाक लगाना, परिवहन के सामान्य चालन पर प्रतिरोध या उसका रूपांतर जैसे सभी जबरदस्ती या बलात्कार के सभी रूप जो विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यात्मकता पर बाधा डालेंगे और जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों, संकाय तथा अन्य कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने पर और जो उनकी गोपनीयता के अधिकार और मुक्त चालन के अधिकार पर बाधा डालेंगे।
- (xvi) उचित चेनल के जरिये विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व न भेजना
- (xvii) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से संयुक्त या गुमनाम प्रतिनिधित्व करना
- (xviii) विरोध के अंग के रूप में जानबुझकर वर्गों में, प्रायोगिक कक्षाओं में न चलना और क्षेत्रीय दौरा में भाग न चलना
- (xix) नारा लगाना, निंदात्मक प्लेकार्डों का प्रदर्शन, एफिजी जलाना, विरोध प्रदर्शन लेना और अनशन हडताल में लगना सम्मिलित करके विश्वविद्यालय के सामान्य छवि को नीचे गिराने संबंधित प्रभाव वाले सभी प्रकार का प्रदर्शन
- (xx) विश्वविद्यालय को अपकीर्ति लाने वाले या बदनामी लाने के उद्देश्य के साथ या किसी विद्यार्थी या विद्यार्थीयों के अनुभाग, या किसी अधिकारी, संकाय को अपकीर्ति लाने हेतु सोशियल मीडिया और यू ट्यूब सम्मिलित करके इन्टरनेट पर विषयवस्तु प्रकाशित करना / पोस्ट करना या मीडिया से बातें करना

- (xxi) विश्वविद्यालय के शैक्षिक या अनुशासनिक विषयों में राजनैतिक या बाह्य प्रभाव लाना
- (xxii) विश्वविद्यालय को किसी तरीके से झूठी प्रमाण पत्र या झूठी विवरण पेश करना
- (xxiii) कपट रचाना, पहचान कार्ड या विश्वविद्यालय अभिलेख के साथ हस्तक्षेप करना, प्रतिरूपण, विश्वविद्यालय के संपित्तयों का दुरुपयोग (चल व अचल), दस्तावेज और अभिलेख, पृष्ठों को तोडना, बदनाम करना, पुस्तकों, पि्रकाओं, अखबारों और ग्रन्थालय के किसी सामग्री को जलाना या किसी भी प्रकार विध्वंश करना या ग्रन्थालय पुस्तकों, पत्र—पि्रकाओं, अखबारों या किसी सामग्री का अनाधिकृत फोटो कापी करना या अपने पास रखना
- (xxiv) विश्वविद्यालय या किसी व्यक्ति के चल संपत्ति की चोरी
- (xxv) किसी परीक्षा में अनुचित तरीकों का उपयोग और परीक्षा संबंधित अपराधों में पडना
- (xxvi) उनकी शैक्षिक गतिविधियों के अंग के रूप में विद्यार्थियों द्वारा समर्पित परियोजनाओं, असाइनमेंट और प्रपन्नों में साहित्यिक चोरी
- (xxvii) छात्रावास कमरे या किसी अन्य विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत रहन और किसी के छात्रावास कमरा में या किसी अन्य जगह में विश्वविद्यालय संपत्ति का अनाधिकृत अर्जन और उपयोग
- (xxviii) परिसर में किसी व्यक्ति के अनाधिकृत प्रवेश या किसी व्यक्ति का, छात्रावास सम्मिलित करके, विश्वविद्यालय परिसर में किसी भाग में अनाधिकृत आवास में सहायता करना
- (xxix) सत्र की शरुआत के दिन परिसर में न आना और उचित औचित्य के बिना छुट्टी पर रहना
- (xxx) सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त किये बिना परिसर को छोडना तथा अनुमत समय को पार करके पसिर से बाहर ठहरना
- (xxxi) पेरेड, रोल कॉल, फॉल इन लायन और भौतिक प्रशिक्षण, जहाँ भी लागू हो
- (xxxii) वर्ग, ग्रन्थायल, प्रयोगशालाए, बेधशालाए, कार्यशाला, छात्रावास, मेस व केन्टीन में शिष्टाचार का रखरखाव न करना
- (xxxiii) दौरा या उल्लास यात्रा में असही व्यवहार
- (xxxiv) भा स वि के इस कोड का उल्लंघन
- (xxxv) लागू विधि के अधीन किसी अन्य अपराध
- (xxxvi) समय समय पर कुलपति या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश का अनुपालन न किया जाना
- 3. इस आदर्श आचार संहित के किसी भी प्रावधान को उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी पर भा स वि के संबंधित कानूनों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4. आदर्श आचार संहिता की एक प्रति को, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते वक्त पत्र के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को भेजना है। उनकी प्रवेश की स्वीकृति संबंधित पत्र को आदर्श आचार संहिता तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न कानुनों की स्वायत्त स्वीकृति मानी जाएगी।"

अध्यादेश 11/2017

(का का 2017-39-10 दि 14.06.2017. का का 2018.46.19 दिनांक 29-06-2018 के तहत संशोधित) स्कूल—वार परीक्षा समिति का गठन तथा उसकी गतिविधियों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश

1. विश्वविद्यालय का स्कूलवार परीक्षा समिति होगी। समिति का गठन निम्न वर्गों के अनुसार होगा :

A] स्कूलें, जहाँ भा स वि परिसरों के अलावा, संबद्धता प्राप्त संस्थाओं में भी पाठ्यक्रम आयोजित की जाती है

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	कुलपति द्वारा नामांकित किये जाने योग्य भा स वि के एक परिसर में से प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विभाग के एक संकाय/ विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	कुलपति द्वारा धूर्णन में नामांकित किसी 5 संबंद्ध संस्थाओं से प्रत्येक स्कूल में से प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य (i)
4.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

B] स्कूल, जहाँ भा स वि में मात्र पाठ्यक्रम आयोजित की जाती है

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	भा स वि के प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	एक ही स्कूल से कुलपति द्वारा नामांकित 2 संकाय	सदस्य (ाँ)
4.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

- 2. नामांकित सदस्य 2 वर्ष अवधि तक पद वहन करेंगे और वे पुनः नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।
- 3. समिति की बैठक के लिए 1/3 सदस्य कोरम बनेंगे।
- 4. इस समिति के गतिविधियों में निम्न सम्मिलित है :
 - (a) सिमिति समेकित परिणामों को विचार करके अनुमोदन प्रदान करेगा और संबंधित स्कूल के परीक्षा परिणामों को घोषित करने के लिए व्यवस्था करेगा।
 - (b) सिमिति को कृपांक देने संबंधित अधिकार होगी। बशर्ते कि किसी भी विद्यार्थी को उस सत्र के लिए सिभी मिलाकर, सिभी विषयों के लिए एक सत्र में, 5 अंक से अधिक कृपांक न दिया जाए।
 - (c) कृपांक प्रदान करने के लिए समिति द्वारा निम्न मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन किया जाएगा :
 - (i) जहाँ परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत 100 प्रतिशत तक पहुँचेगी या 100 प्रतिशत के निकटतम होगी।
 - (ii) जहाँ एक विशिष्ट परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी।
 - (iii) जहाँ कृपांक प्रदान करने से अधिक संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित (उत्तीर्ण) होंगे।
 - (iv) किसी अन्य प्रकरण, जैसे समिति समझे कृपांक प्रदान करने संबंधित विचार करने परिधि है।
 - (d) शैक्षिक परिषद द्वारा नियत ऐसे अन्य कर्तव्य व गतिविधियाँ
 - बशतें कि विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को उपरोक्त किसी भी या सभी अधिकारों को प्रत्यायुक्त कर सकता है।"

अध्यादेश २४/२०१८

[कार्यकाणी समिति 2014-28-12 दि 26.6.2014 के तहत]

सबद्धता शुल्क निर्धारित करने वाले अध्यादेश

- (i) नीचे उल्लिखित दरों में पाठ्यक्रम के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान करते वक्त एक मुश्त शुल्क के रूप प्रारंभिक संबद्धता शुल्क वसूला जाता है।
- (a) बी.एस.सी (नाटिकल) की ओर ले चलने वाले डीएनएस पाठ्यक्रम

विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क
-	(रुपयों में)
80 तक	2,00,000
81 – 160	4,25,000
161 – 240	6,75,000
241 और उससे अधिक	9,50,000

(b) अन्य रनातक उपाधियों के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क
	(रुपयों में)
40 तक	1,50,000
41 – 80	3,25,000
81 – 120	5,25,000
121 और उससे अधिक	7,50,000

(c) स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क
	(रुपयों में)
20 तक	3,00,000
21 – 40	6,00,000

- (ii) अस्थाई संबद्धता, प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि तक दी जाएगी और बाद में उसे प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि तक विस्तार किया जाएगा। अस्थाई संबद्धता को जारी रखने/ विस्तार करने के लिए प्रत्येक 3 वर्षों के लिए एकमुश्त रु.50000/— (स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) जारी रखने संबंधित शुल्क जमा करना पड़ेगा।
- (iii) 9 वर्षों के अंत में, एक संबद्धता प्राप्त संस्थान को स्थाई संबद्धता के लिए आवेदन करने अर्ह प्राप्त करना है, पर संबंध्ता प्राप्त संस्थान, स्थाई संबद्धता 10 वर्षों की पूर्ति होने पर ही प्राप्त करती है, और इस अविध को भा स स की सबंद्धता जिस दिन प्राप्त की है उस दिन से गिना जाएगा।
- (iv) स्थाई संबद्धता के लिए, संस्थान को सभी पाठ्यक्रमों के लिए (डीएनएस, स्नातक, स्नातकोत्तर) के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए रु.10,00,000/— की एकसा स्थाई संबद्धता शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। जब एक संस्था, स्थाई संबद्धता प्राप्त करेगी, उसके बाद आगे कोई जारी रखने के लिए शुल्क जमा करना नहीं पड़ेगा।
- (v) स्थाई संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही, एक संबद्धता प्राप्त संस्था, स्वायत्त स्तर के लिए आवेदन करने अर्हता प्राप्त करेगा।
- (vi) यह अध्यादेश 14.10.2018 से प्रभावी होगा ।

सूचना 1. - राजपत्र 38, दि 1.2.2010 में प्रकाशित अतिरिक्त शैक्षिक अध्यादेश के अध्याय 1 के अनुलग्नक XII के संबद्धता शुल्क खंड एवं अनुच्छेद 4.23 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

सूचना २. - राजपत्र 183, दि 19.07.2018 में प्रकाशित अध्यादेश 24/2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है।

अध्यादेश 25/2018

का का 2018-46-01 दि 29.06.2018

गैर-अध्यापन वर्ग में ठेके कर्मचारी नियुक्ति के लिए नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश

- 1. कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के साथ गैर-अध्यापन वर्ग में ठेके कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
- 2. प्रचलित वर्तमान नियुक्ति नियम (नियमित/ठेके) जैसे लागू हो, का अनुपालन किया जाएगा।
- 3. 65 वर्ष उम्र से अधिक ठेके कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
- 4. ठेके पदों पर, केन्द्र सरकार का आरक्षण नीति लागू होगी।
- 5. कुलपति द्वारा ठेके पदो के लिए चयन समिति का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इस चयन प्रक्रिया में परीक्षा तथा /या व्यक्तिगत हस्ताक्षर सम्मिलित होगी।
- 6. सभी ठेके कर्मचारी भा स वि के साथ ठेके में प्रवेश करेंगे।
- 7. गैर—अध्यापन वर्ग में ठेके कर्मचारियों की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और इसे संतुष्टजनक निष्पादन के तहत तथा 3 वर्ष की अधिकतम अवधि तक एक वर्ष तक विस्तार कर पाएँगे। किसी भी परिस्थिति में तीन वर्षों से अधिक विस्तार नहीं की जाएगी। पर भी, अभ्यर्थी नये ठेके के अधीन नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।।
- 8. ठेके कर्मचारियों को मासिक तौर पर एकमुश्त रकम भुगतान किया जाएगा, जिसे अर्हता, अनुभव, अंतिम वेतन, आदि जैसे औचित्यों पर विचार करते हुए, समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। वे वार्षिक वेतनवृद्धि 5 प्रतिशत के हकदार होंगे। आगे, समेकित पारिश्रमिक जो भुगतान की जाती है वह जिस पद में नियुक्ति की जाती है उसके नियमित पद के अधिकतम वेतन मान से अधिक नहीं होगी।
- 9. ठेके कर्मचारी कार्यालयीय कार्य / परिवहन के दौरान, संबंधित स्तर के नियमित कर्मचारी जिस भत्ता पाएँगे उसी भत्ता पाने अर्ह होंगे।
- 10. सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित सांविधिक नियम लागू होगी।
- 11. आयकर (टीडीएस) आदि की ओर लागू सांविधिक घटाव समेकित पारिश्रमिक से की जाएगी।
- 12. महँगाई भत्ता/ शहर प्रतिपूरक भत्ता/ घर भाड़ा भत्ता/ एलटीसी या किसी अन्य रिलीफ/ भत्ता / लाभ अनुमत्य नहीं है।
- 13. प्रति वर्ष कुल अनुमत्य आकस्मिक छुट्टी (समेकित पारिश्रमिक से घटाव के बिना) 20 दिनों से अधिक नहीं होगी।
- 14. ठेके कर्मचारी को उन्हें जिस विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, के अतिरिक्त, परिसर निदेशक/ कुलपति द्वारा अन्य कार्य भी दी जा सकती है।
- 15. प्रत्येक ओर से एक महीने की नोटिस पर नियुक्ति को , किसी भी कारण बताये बिना समाप्त कर सकते है। यह भी कि, नियुक्त किये गये व्यक्ति, किसी भी वक्त, इस ठेके नियुक्ति के आधार पर, किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर पाएँगे।"

अध्यादेश 26/2018

(का का 2018-46-14 दि 29.06.2018)

भा स वि के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता मापदंड निर्धारित करने वाले अध्यादेश

1. भा स वि के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों प्रवेश के लिए अर्हता मापदंड

A. दो	A. दो वर्ष एम.टेक (समुद्री व इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन)		
(i)	अर्हता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ समुद्री इंजीनियरिंग/ मेकनिकल इंजीनियरिंग/ नौसेना वास्तुकला में बी.ई./ बी.टेक	
		या	
		60 प्रतिशत अंकों (परीक्षाओं द्वारा) के साथ मेकनिकल इंजीनियरिंग भाग ए और भाग बी में	
		अभियात्रिकों के संस्थान में असोसियेट सदस्य	
		या	
		भारत सरकार द्वारा जारी एमईओ वर्ग 1 दक्षता प्रमाण पत्र	
		टिप्पणी : समुद्री इंजीनियरिंग/ मेकनिकल इंजीनियरिंग/ नौसेना वास्तुकला में गेट स्कोर के	
		साथ अभ्यर्थियों को भा स वि के सीइटी लिखने से छूट दिया जाएगा पर भी अवशिष्ट सीटों	
		के विरुद्ध ही उन्हें प्रवेश देने पर विचार किया जाएगा।	
(ii)	उम्र मापदंड	काई आयु सीमा नहीं है।	
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी।	
	अनुसूचित जनजाति		

	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट	
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।

B. 2	वर्ष एम.एससी (वाणिज्यिक पोत परिवहन और लॉजिस्टिक्स)	
(i)	अर्हता	वर्ग — 1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से निम्नतम 50 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी विषय में स्नातक उपाधि और 10वीं/12वीं/ स्नातक उपाधि में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत अंक
		इस वर्ग के अधीन अभ्यर्थियों को भा स वि के सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) लिखना है और इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उसमें अर्हता प्राप्त करना है। .
		वर्ग 2: प्रत्येक भा स वि परिसर, जहाँ एम.एससी (वाणिज्यिक पोत परिवहन तथा लाजिस्टिक्स) प्रदान किया जा रहा है, में 50 प्रतिशत सीट को, क्षमता के मास्टर प्रमाण पत्र (एफजी) के साथ नाविकों के लिए या एमईओ श्रेणी 1 क्षमता प्रमाण पत्र के साथ नाविकों के लिए आरक्षित किया जाएगा।
		वर्ग 2 अभ्यर्थियों के लिए कोई सीईटी नहीं होगी। अगर आरक्षित सीटों की संख्या से, अर्हता प्राप्त नाविकों से आवेदन की संख्या कम होगी तो रिक्त सीटों का वर्ग 1 से अभ्यर्थियों को आबंटन किया जाएगा।
		अगर आरक्षित सीटों की संख्या से, अर्हता प्राप्त नाविकों से आवेदन की संख्या अधिक होगी तो इस पाठ्यक्रम के लिए वर्ग 2 अभ्यर्थियों को चयन करने के लिए, भा स वि द्वारा एक अलग ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाएगा।
(ii)	उम्र मापदंड	काई आयु सीमा नहीं है।
(iii)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।

C. 2 7	C. 2 वर्ष एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन)		
(i)	अर्हता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से निम्नतम 50 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी विषय में स्नातक	
		उपाधि और 10वीं / 12वीं / स्नातक उपाधि में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत अंक	
(ii)	उम्र मापदड	काई आयु सीमा नहीं है।	
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।	
	अनुसूचित जनजाति		
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों		
	के लिए छूट		
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक	
		फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।	

D. 2 7	D. 2 वर्ष एमबीए (बंदरगाह व पोत-परिवहन प्रबंधन)		
(i)	अर्हता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से निम्नतम 50 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी विषय में स्नातक उपाधि और 10वीं/12वीं/ स्नातक उपाधि में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत अंक	
(ii)	उम्र मापदंड	काई आयु सीमा नहीं है।	
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।	
	अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों		
	के लिए छूट		
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक	

_	
П	
	। १९८१स प्रमाण पत्र समापत करना है।

E. 2	E. 2 वर्ष एम.टेक (नौसेना वास्तुकला तथा समुद्री इंजीनियरिंग)		
(i)	अर्हता	कुल अंकों के 60 प्रतिशत के साथ मेकनिकी/ सिविल/ समुद्री/नौसेना वास्तुकला में इंजीनियरिंग स्नातक या समतुल्य	
(ii)	उम्र मापदंड	काई आयु सीमा नहीं है।	
(iii)	अनुसूचित जाति /	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी।	
	अनुसूचित जनजाति		
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों		
	के लिए छूट		
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक	
		फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।	

F	F. 2 वर्ष एम.टेक (ड्रेडजिंग तथा बंदरगाह इंजीनियरिंग)		
(i)	अर्हता	कुल अंकों के 60 प्रतिशत के साथ मेकनिकी/ सिविल/ समुद्री/नौसेना वास्तुकला में	
		इंजीनियरिंग स्नातक या समतुल्य	
(ii)	उम्र मापदंड	काई आयु सीमा नहीं है।	
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी।	
	अनुसूचित जनजाति		
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों		
	के लिए छूट		
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक	
		फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।	

2. भा स वि के स्नातकोत्तर डिलोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता मापदंड

A. सर्	रुद्रीय इंजीनियरिंग में स्नाव	तकोत्तर डिप्लोमा
(i)	अर्हता	अंतिम वर्ष में निम्नतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विद्यालय से बी.ई (मेकनिकल) इंजीनियरिंग/ नौसेना वास्तुकला विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि और 10वीं या 12वीं कक्षा में या स्नातक परीक्षा में निम्नतम 50 अंक ।
(ii)	उम्र मापदंड	अधिकतम उम्र : 28 वर्ष उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से की जाएगी।
(iii)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी। अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और अंदमान व निकोबार द्वीप के नागरिक हो और अनुसूचित जनजाति के हो तथा जिनके दोनां मॉ—बाप इन द्वीपों में जन्म लिये हो और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हो। उम्र में अधिकतम 5 वर्षी की छूट दी जाएगी।
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	भौतिक अर्हता 1. पीजीएमई में प्रवेश माँगने वाले विद्यार्थी को भौतिक रूप से अर्ह होना है और पोत परिवहन के महानिदेशक, मुम्बई द्वारा निर्देशित चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।
		2. प्रवेश के समय, अभ्यर्थियों को महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा अनुमोदन प्राप्त चिकित्सकों द्वारा जारी चिकित्सीय फिटनेस का प्रमाण पत्र पेश करना है।
		अाँखों की दृष्टि 1. उपरोक्त 4 समुद्री पाठ्यक्रमों के लिए, किसी भी आँख में या आँख के पलक में बीमारी की गवाह नहीं होनी चाहिए, जिनकी वृद्धि हो सकती है या पुनः ःघटित संभाव्य है। अभ्यर्थियों का अच्छे बाइनाकुलर दृष्टि रहना है (दोनों आँखों में फयूशन संकाय और पूर्ण दृष्टि)

2. नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से चलायमान होना है और पुतली को प्रकाश तथा आवास के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दिखाना है।
3. इशिनारा परीक्षण चार्ट द्वारा सामान्य रंग दृष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा।
4. a) बी.एससी (अप्लाइड नॉटिकल विज्ञान), बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) और बी.एससी (समुद्री विज्ञान) पाठ्यक्रमों की ओर ले जाने वाले डीएनएस के लिए सहायतारहित दृष्टि की दूरी अच्छे ऑख में 1.0* (6/6)और दूसरी आँख में 0.67* (6/9)
b) बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम के लिए : सहायतारहित दृष्टि की दूरी प्रत्येक ऑख में 0.5* (6/12) या अच्छे ऑख में 0.67* (6/9)और दूसरी ऑख में 0.33* (6/18)।

3. भा स वि के विभिन्न स्नातक उपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता मापदंड

A. 3 7	A. 3 वर्ष बीबीए (जाजिस्टिक, रीटेइलिंग व ई–कामर्स)		
(i)	अर्हता	10+2/ समतुल्य (किसी भी स्ट्रीम में निम्नतम 60 प्रतिशत अंक और 10वीं/ 12वीं परीक्षाओं	
		में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत अंक)	
		टिप्पणी : अंग्रेजी विषय तथा अन्य मुख्य विषयों में प्राप्त अंकों पर विचार करते हुए कुल अंक	
		का प्रतिशत आंकलन किया जाएगा। (अन्य भाषाओं को छोडकर)	
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 17 वर्ष	
		ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष	
		उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।	
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।	
	अनुसूचित जनजाति	अधिकतम उम्र छूट पाँच (5) वर्ष होगी।	
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों		
	के लिए छूट		
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक	
		फिटनेस [ं] प्रमाण पत्र समर्पित करना है।	

B. 4	B. 4 वर्ष बी टेक (नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग)		
(i)	अर्हता	10+2/ समतुल्य (पीसीएम–60 प्रतिशत और 10वीं/ 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में	
		निम्नतम ५० प्रतिशत)	
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 17 वर्ष	
		ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष	
		उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।	
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।	
	अनुसूचित जनजाति	अधिकतम उम्र छूट पाँच (5) वर्ष होगी।	
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों	•	
	के लिए छूट		
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक	
		फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।	

C. 3 वर्ष बीएससी (जहाज निर्माण व मरम्मत)		
(i)	अर्हता	10+2/ समतुल्य (पीसीएम–60 प्रतिशत और 10वीं/12वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत)
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 17 वर्ष ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष
(iii)	अनुसूचित जाति/	उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी। अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।
(111)	अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों	अधिकतम उम्र छूट पाँच (5) वर्ष होगी।
(iv)	के लिए छूट अर्हता – चिकित्सीय	इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक

फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।

(ii) अर्हता 10+2/ समतुल्य (पीसीएम-60 प्रतिशत और 10वीं/ 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी निम्नतम 50 प्रतिशत) (ii) उम्र मापदंड i) निम्नतम आयु 17 वर्ष ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होर्ग अनुसूचित जाति/ अर्नुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और निकोबार द्वीप के नागरिक हो और अनुसूचित जनजाति के हो तथा जिनके दोनां में द्वीपों में जन्म लिये हो और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हो। उम्र में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। (iv) अर्हता – चिकित्सीय भौतिक फिटनेस	विषय में
ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होर्ग (iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होर्ग अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और निकोबार द्वीप के नागरिक हो और अनुसूचित जनजाति के हो तथा जिनके दोनां में द्वीपों में जन्म लिये हो और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हो। उम्र में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी।	
(iii) अनुसूचित जाति / अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट जिल्ला होप के नागरिक हो और अनुसूचित जनजाति के हो तथा जिनके दोनां में हीपों में जन्म लिये हो और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हो। उम्र में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी।	·]
(iv) शर्टना चिकिन्मीम भौतिक फिरनेम	होगी। अंदमान व
(iv) अहंता — चिकित्सीय 1. निम्न चार समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश माँगने वाले विद्यार्थी को : 3. बी.एससी (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान) की ओर ले जाने वाले डीएनएस आ. बी.एससी (माटिकल विज्ञान) इ. बी.एससी (समुद्री विज्ञान) और ई. बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) को भौतिक रूप से योग्य रहना है और महानिदेशक, पोत परिवहन, मिर्चारित चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। 2. प्रवेश लेते वक्त, अभ्यर्थियों को महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा चिकित्सकों से चिकित्सीय फिटनेस संबंधित प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा अाँखों की दृष्टि 1. उपरोक्त 4 समुद्री पाठ्यक्रमों के लिए, किसी भी आँख में या आँख के पलक में गवाह नहीं होनी चाहिए, जिनकी वृद्धि हो सकती है या पुनः घटित होना अभ्यर्थियों का अच्छे बाइनाकुलर दृष्टि रहना है (दोनों आँखों में फयूशन संकार दृष्टि) 2. नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से चलायमान होना है और पुतली को प्र आवास के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दिखाना है। 3. इशिनारा परीक्षण चार्ट द्वारा सामान्य रंग दिख के लिए परीक्षण किया जाएगा। 4 क) बी.एससी (अप्लाइड नॉटिकल विज्ञान), बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) और (समुद्री विज्ञान) पाठ्यक्रमों की ओर ले जाने वाले डीएनएस के लिए सहायतारहित दूरी अच्छे आँख में 1.0* (६/६)और दूसरी आँख में 0.67* (६/९) b) बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम के लिए : सहायतारहित दृष्टि की दूरी प्र	अनुमोदित बीमारी की तंभाव्य है। अौर पूर्ण काश तथा बी.एससी दृष्टि की

Е. з	E. 3 वर्ष बी.एससी (समुद्री विज्ञान)		
(i)	अर्हता	10+2/ समतुल्य (पीसीएम—60 प्रतिशत और 10वीं/ 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत)	
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 17 वर्ष ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।	
(iii)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी। अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और अंदमान व निकोबार द्वीप के नागरिक हो और अनुसूचित जनजाति के हो तथा जिनके दोनां मॉ—बाप इन	

		द्वीपों में जन्म लिये हो और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हो।
		उम्र में अधिकतम 5 वर्षीं की छूट दी जाएगी।.
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	भौतिक फिटनेस
(11)	जिल्ला । जायम्स्याच	3. निम्न चार समुद्री पाठ्यक्रमीं में प्रवेश माँगने वाले विद्यार्थी को :
		अ. बी.एससी (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान) की ओर ले जाने वाले डीएनएस
		आ. बी.एससी (नाटिकल विज्ञान)
		इ. बी.एससी (समुद्री विज्ञान) और
		ई. बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग)
		को भौतिक रूप से योग्य रहना है और महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा
		निर्धारित चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।
		4. प्रवेश लेते वक्त, अभ्यर्भियों को महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा अनुमोदित
		चिकित्सकों से चिकित्सीय फिटनेस संबंधित प्रमाण पत्र पेश करना पडेगा
		आँखों की दृष्टि
		1. उपरोक्त 4 समुद्री पाठ्यक्रमों के लिए, किसी भी आँख में या आँख के पलक में
		बीमारी की गवाह नहीं होनी चाहिए, जिनकी वृद्धि हो सकती है या पुनः घटित होना
		संभाव्य है। अभ्यर्थियों का अच्छे बाइनाकुलर दृष्टि रहना है (दोनों आँखों में फयूशन
		संकाय और पूर्ण दृष्टि)
		2. नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से चलायमान होना है और पुतली को प्रकाश
		तथा आवास के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दिखाना है।
		3. इशिनारा परीक्षण चार्ट द्वारा सामान्य रंग दष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा।
		4. a) बी.एससी (अप्लाइंड नॉटिकल विज्ञान), बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) और बी.एससी
		(समुद्री विज्ञान) पाठ्यक्रमां की ओर ले जाने वाले डीएनएस के लिए सहायतारहित
		दृष्टि की दूरी अच्छे ऑख में 1.0* (6/6)और दूसरी ऑख में 0.67* (6/9)
		b) बी टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम के लिए : सहायतारहित दृष्टि की दूरी प्रत्येक
		ऑख में 0.5* (6/12) या अच्छे ऑख में 0.67* (6/9)और दूसरी ऑख में 0.33*
		(6/18)
L	l	

F. 3	वर्ष बीएससी (नाटिकल विज्ञ	пन)
(i)	अर्हता	10+2/ समतुल्य (पीसीएम—60 प्रतिशत और 10वीं/ 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत)
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 17 [°] वर्ष
		ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष
		उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।
(iii)	अनुसूचित जाति /	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।
	अनुसूचित जनजाति	अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और अंदमान व
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों	निकोबार द्वीप के नागरिक हो और अनुसूचित जनजाति के हों तथा जिनके दोनों माँ–बाप इन
	के लिए छूट	द्वीपों में जन्म लिये हो और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हों।
(;)		उम्र में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी।
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	भौतिक फिटनेस
		1. निम्न चार समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश माँगने वाले विद्यार्थी को :
		अ. बी.एससी (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान) की ओर ले जाने वाले डीएनएस आ. बी.एससी (नाटिकल विज्ञान)
		जा. बा.एससी (साटकल विज्ञान) इ. बी.एससी (समुद्री विज्ञान) और
		ई. बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग)
		को भौतिक रूप से योग्य रहना है और महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा
		निर्धारित चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।
		THINKE THE CONTROL OF
		2. प्रवेश लेते वक्त, अभ्यर्भियों को महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा अनुमोदित
		चिकित्सकों से चिकित्सीय फिटनेस संबंधित प्रमाण पत्र पेश करना पडेगा।
		आँखों की दृष्टि
		1. उपरोक्त 4 समुद्री पाठ्यक्रमों के लिए, किसी भी आँख में या आँख के पलक में बीमारी की

गवाह नहीं होनी चाहिए, जिनकी वृद्धि हो सकती है या पुनः :घटित होना संभाव्य है। अभ्यर्थियों का अच्छे बाइनाकुलर दृष्टि रहना है (दोनों आँखों में फयूशन संकाय और पूर्ण दृष्टि)
2. नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से चलायमान होना है और पुतली को प्रकाश तथा आवास के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दिखाना है।
3. इशिनारा परीक्षण चार्ट द्वारा सामान्य रंग दिष्ट के लिए परीक्षण किया जाएगा। 4. a) बी.एससी (अप्लाइड नॉटिकल विज्ञान), बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) और बी.एससी (समुद्री विज्ञान) पाठ्यक्रमों की ओर ले जाने वाले डीएनएस के लिए सहायता रहित दृष्टि की
दूरी अच्छे आँख में 1.0* (6/6)और दूसरी आँख में 0.67* (6/9) b) बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम के लिए : सहायता रहित दृष्टि की दूरी प्रत्येक आँख में 0.5* (6/12) या अच्छे आँख में 0.67* (6/9) और दूसरी आँख में 0.33* (6/18)।

	बी.एससी (प्रयोगित नाटिकल विज्ञान) की ओर ले चलने वाले 1 वर्ष डीएनएस पाठ्यक्रम		
(i)	अर्हता	i) 10+2/ समतुल्य (पीसीएम—60 प्रतिशत)	
		 या	
		ii) बी.एससी (पीसीएम)/ बी.एससी (एक वर्ष में भौतिकी को व्यक्तिगत विषय के साथ	
		एलक्ट्रानिक्स), अंक 55 प्रतिशत से कम न हों	
		या ,	
		iii) एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त आईआईटी या कॉलेज से बी.ई/ बी.टेक जिसमें अक	
		50 प्रतिशत से कम न हों	
<i>(</i> ,,,)		टिप्पणी : उपरोक्त परीक्षाओं में किसी एक में 50 प्रतिशत या उससे अधिक का अंग्रेजी अंक	
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 17 वर्ष	
		ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।	
(iii)	 अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।	
(111)	अनुसूचित जनजाति	अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और अंदमान व	
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों	निकोबार द्वीप के नागरिक हों और अनुसूचित जनजाति के हों तथा जिनके दोनों मॉ—बाप इन	
	के लिए छूट	द्वीपों में जन्म लिये हों और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हों।	
		उम्र में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी।	
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	भौतिक फिटनेस	
		1. निम्न चार समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश माँगने वाले विद्यार्थी को :	
		अ. बी.एससी (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान) की ओर ले जाने वाले डीएनएस	
		आ. बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) इ. बी.एससी (समुद्री विज्ञान) और	
		ई. बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग)	
		को भौतिक रूप से योग्य रहना है और महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा	
		निर्धारित चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।	
		2. प्रवेश लेते वक्त, अभ्यर्भियों को महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा अनुमोदित	
		चिकित्सकों से चिकित्सीय फिटनेस संबंधित प्रमाण पत्र पेश करना पडेगा।	
		टाँखों की दृष्टि	
		1. उपरोक्त 4 समुद्री पाठ्यक्रमों के लिए, किसी भी आँख में या आँख के पलक में बीमारी की	
		गवाह नहीं होनी चाहिए, जिनकी वृद्धि हो सकती है या पुनः ःघटित होना संभाव्य है।	
		अभ्यर्थियों का अच्छे बाइनाकुलर दृष्टि रहना है (दोनों आँखों में फयूशन संकाय और पूर्ण	
		बृष्टि)।	
		2. नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से चलायमान होना है और पुतली को प्रकाश तथा आवास के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दिखाना है।	

3. इशिनारा परीक्षण चार्ट द्वारा सामान्य रंग दिष्ट के लिए परीक्षण किया जाएगा।
4. a) बी.एससी (अप्लाइड नॉटिकल विज्ञान), बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) और बी.एससी
(समुद्री विज्ञान) पाठ्यक्रमों की ओर ले जाने वाले डीएनएस के लिए सहायतारहित दृष्टि की
दूरी अच्छे आँख में 1.0* (6/6)और दूसरी आँख में 0.67* (6/9)
b) बी टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम के लिए : सहायतारहित दृष्टि की दूरी प्रत्येक आँख
में 0.5* (6/12) या अच्छे आँख में 0.67* (6/9)और दूसरी आँख में 0.33* (6/18)।

4. भा स वि के स्नातक पाठ्यक्रमों में लेटरल प्रवेश के लिए अर्हता मापदंड

	ीं वर्ष बी.टेक (समुद्री इंजी		
(i)	अर्हता	अभ्यर्थियों को कम से निम्न में संपूर्णः 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना है समुद्री / मेकनिकल / विद्युत / विद्युत व एलक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा या एआईसीटीई या तकनीकि शिक्षा के लिए राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से जहाज	
		निर्माण इंजीनियरिंग में 4 वर्ष डिप्लोमा और	
		10वीं / 12वीं / डिप्लोमा परीक्षा में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि 3 वर्ष के अन्दर डिप्लोमा पूर्ण किया जाना है।	
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 18 वर्ष ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।	
(iii)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट	अर्ध आकलन करन के लिए नुख्य तिथि, शक्षिक संत्र की शुरूआत की तिथि से होगी। अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी। अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और अंदमान व निकोबार द्वीप के नागरिक हों और अनुसूचित जनजाति के हों तथा जिनके दोनों माँ—बाप इन द्वीपों में जन्म लिये हो और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हों। उम्र में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी।	
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	भौतिक फिटनेस 1. निम्न चार समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश माँगने वाले विद्यार्थी को : अ. बी.एससी (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान) की ओर ले जाने वाले डीएनएस आ. बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) इ. बी.एससी (समुद्री विज्ञान) और ई. बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) को भौतिक रूप से योग्य रहना है और महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा निर्धारित चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।	
		2. प्रवेश लेते वक्त, अभ्यर्भियों को महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा अनुमोदित चिकित्सकों से चिकित्सीय फिटनेस संबंधित प्रमाण पत्र पेश करना पडेगा	
		आँखों की दृष्टि 1. उपरोक्त 4 समुद्री पाठ्यक्रमों के लिए, किसी भी आँख में या आँख के पलक में बीमारी की गवाह नहीं होनी चाहिए, जिनकी वृद्धि हो सकती है या पुनः घटित होना संभाव्य है। अभ्यर्थियों का अच्छे बाइनाकुलर दृष्टि रहना है (दोनों आँखों में फयूशन संकाय और पूर्ण दृष्टि)	
		2. नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से चलायमान होना है और पुतली को प्रकाश तथा आवास के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दिखाना है।	
		3. इशिनारा परीक्षण चार्ट द्वारा सामान्य रंग दष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा।	
		4. a) बी.एससी (अप्लाइंड नॉटिकल विज्ञान), बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) और बी.एससी (समुद्री विज्ञान) पाठ्यक्रमों की ओर ले जाने वाले डीएनएस के लिए सहायतारहित दृष्टि की दूरी अच्छे आँख में 1.0* (6/6)और दूसरी आँख में 0.67* (6/9)	

में 0.5* (6/12) या अच्छे ऑख में 0.67* (6/9)और दूसरी ऑख में 0.33* (6/18)।

B. 2	वीं वर्ष बी.एससी (नाटिकल	विज्ञान)	
(i)	अर्हता	संपूर्ण अंकों से 60 प्रतिशत के साथ नॉटिकल विज्ञान में 1 वर्ष डिप्लोमा (डीएनएस) और	
(ii)	उम्र मापदंड	10वीं / 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत अंक i) निम्नतम आयु 18 वर्ष	
		ii) अधिकतम आयु 25 वर्ष	
		उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।	
(iii)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अगर कोई हो) अभ्यर्थियों के लिए छूट	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी। अंग्रेजी अंकों में 5 प्रतिशत छूट उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो लक्ष्द्वीप और अंदमान व निकोबार द्वीप के नागरिक हों और अनुसूचित जनजाति के हों तथा जिनके दोनों माँ—बाप इन द्वीपों में जन्म लिये हों और इस द्वीप के अनुसूचित जनजाति के हों। उम्र में अधिकतम 5 वर्षी की छूट दी जाएगी।	
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	भौतिक फिटनेस 1. निम्न चार समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश मांगने वाले विद्यार्थी को : 3. बी.एससी (प्रयोगित नॉटिकल विज्ञान) की ओर ले जाने वाले डीएनएस 31. बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) इ. बी.एससी (समुद्री विज्ञान) और ई. बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) को भौतिक रूप से योग्य रहना है और महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा निर्धारित चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।	
		2. प्रवेश लेते वक्त, अभ्यर्भियों को महानिदेशक, पोत परिवहन, मुम्बई द्वारा अनुमोदित चिकित्सकों से चिकित्सीय फिटनेस संबंधित प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा आँखों की दृष्टि 1. उपरोक्त 4 समुद्री पाठ्यक्रमों के लिए, किसी भी आँख में या आँख के पलक में बीमारी की गवाह नहीं होनी चाहिए, जिनकी वृद्धि हो सकती है या पुनः घटित होना संभाव्य है। अभ्यर्थियों का अच्छे बाइनाकुलर दृष्टि रहना है (दोनों आँखों में फयूशन संकाय और पूर्ण दृष्टि)।	
		2. नेत्रगोलक को सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से चलायमान होना है और पुतली को प्रकाश तथा आवास के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दिखाना है।	
		3. इशिनारा परीक्षण चार्ट द्वारा सामान्य रंग दिष्ट के लिए परीक्षण किया जाएगा।	
		4. a) बी.एससी (अप्लाइड नॉटिकल विज्ञान), बी.एससी (नाटिकल विज्ञान) और बी.एससी (समुद्री विज्ञान) पाठ्यक्रमों की ओर ले जाने वाले डीएनएस के लिए सहायतारहित दृष्टि की दूरी अच्छे आँख में 1.0* (6/6)और दूसरी आँख में 0.67* (6/9) b) बी.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम के लिए : सहायतारहित दृष्टि की दूरी प्रत्येक ऑख में 0.5* (6/12) या अच्छे आँख में 0.67* (6/9)और दूसरी आँख में 0.33* (6/18)।	

C. द्वि	C. द्वितीय वर्ष बी. टेक (नौसेना वास्तुकला व समुद्री इंजीनियरिंग)		
(i)	अर्हता	निम्न में 60 प्रतिशत के साथ अभ्यर्थी	
		जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी संस्था, गोआ से जहाज निर्माण इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का डिप्लोमा	
		या	
		एएमईटी विश्वविद्यालय, चेन्नई से नौसेना वास्तुकला और अपतटीय इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का	
		डिप्लोमा	
		या	
		एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से मेकनिकल इंजीनियरिंग/ सिविल इंजीनियरिंग	
		में तीन वर्ष डिप्लोमा	
		और 10वीं / 12वीं परीक्षाओं में अंग्रेजी में निम्नतम 50 प्रतिशत अंक	
		अभ्यर्थी द्वारा इस स्नातक उपाधि निश्चित अवधि 4 वर्षों में या 3 वर्षों के अन्दर, जैसे प्रकरण	
		हो, पूर्ण किया जाना है।	
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 18 वर्ष	

		ii) अधिकतम आयु 26 वर्ष
		उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।
	अनुसूचित जनजाति	अधिकतम उम्र छूट पाँच (5) वर्ष होगी।
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों	
	के लिए छूट	
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	प्रमाण पत्र सत्यापन के समय, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को
		पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।
D. ਰੁਰੀ	ोय वर्ष बी.टेक (नौसेना वास्तू	कला तथा समुद्री इंजीनियरिंग)
C	, ,	9
(i)	अर्हता	संपूर्ण रूप से बी.एससी (जहाज निर्माण और मरम्मत) में निम्नतम 60 प्रतिशत और 10वी /
		12वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में निम्नतम 50 प्रतिशत अंक
		अभ्यर्थी द्वारा इस स्नातक उपाधि निश्चित अवधि ३ वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना है।
(ii)	उम्र मापदंड	i) निम्नतम आयु 19 वर्ष
		ii) अधिकतम आयु 27 वर्ष
		उम्र आकलन करने के लिए मुख्य तिथि, शैक्षिक सत्र की शुरूआत की तिथि से होगी।
(iii)	अनुसूचित जाति/	अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी, पर यह अंग्रेजी अंकों के लिए लागू नहीं होगी।
	अनुसूचित जनजाति	अधिकतम उम्र छूट पाँच (5) वर्ष होगी।
	(अगर कोई हो) अभ्यर्थियों	
	के लिए छूट	
(iv)	अर्हता – चिकित्सीय	प्रमाण पत्र सत्यापन के समय, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को
		पंजीकृत चिकित्सक से भौतिक फिटनेस प्रमाण पत्र समर्पित करना है।

अध्यादेश 27/ 2018

का का 2018-46-23 दि 29.06.2018

ठेके पर संकाय नियुक्ति के लिए नियम निर्धारित करने वाले अध्यादेश

- 1. स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यकारिणी समिति द्वारा ठेके आधार पर संकाय की नियुक्ति होगी । (अपूर्ण नियमित / ठेके)
- 2. संकाय के लिए शक्षिक योग्यताएँ (ठेके पर) संबंधित विषय में नियमित पदों के लिए जो योग्यता निर्धारित है वही होगी।
- 3. ठेके पर संकाय की नियुक्ति के लिए अधिकतम प्रवेश आयु 62 वर्ष होगी।
- 4. आरक्षण व अर्हता में छूट, भारत सरकार के नियम जो लागू हैं और समय समय पर संशोधित की जाती है वही होगी।
- 5. ठेके आधार पर संकाय की नियुक्ति हेत् चयन समिति नियम, सांविधि 21 के अधीन नियमित पदों के जैसे होगी।
- 6. चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत साक्षात्कार और चयन समिति के सामने प्रदर्शन भाषण, सम्मिलित हो सकती है। अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के विषय में, शार्टिलस्ट किये गये अभ्यर्थियों के लिए भा स वि मुख्यालय / परिसरों में स्क्रिनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी जो स्क्रिनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आवेदनों को शार्टिलस्ट करना और स्क्रिनिंग परीक्षा आयोजित करने संबंधित निर्णय, कुलपित के अनुमोदन के साथ गठित जाँच समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी।
- 7. अध्यादेश के अधीन नियुक्त संकाय सदस्य को भा स वि के साथ ठेके में प्रवेश करना पड़ेगा।
- 8. संकाय सदस्यों के निष्पादन अप्रैसल, भा स वि द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन पर आधारित होगी।
- 9. ठेके नियुक्ति की अवधि, सांविधि 23 के अधीन प्रारंभ में एक वर्ष की होगी। इस ठेके को, परिसर निदेश द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर, दो बार अधिक कर सकेंगे (प्रत्येक बार एक वर्ष)। पर भी, विस्तार, भा स वि के आवश्यकतानुसार के अनुसार की जाएगी।
- 10. तीन वर्ष अवधि की समाप्ति पर, ठेके पर संकाय की आवेदन पर, अतिरिक्त अवधि (वार्षिक तौर पर पुननवीकरणीय) पुनः नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे, बशर्तें कि उपरोक्त पंक्ति 4 में संकेतित चयन समिति द्वारा निष्पादन का पुनर्विलोकन उन्हें योग्य

- समझें । भा स वि और अभ्यर्थी एक नये ठेके में प्रवेश करेंगे। पर भी, भा स वि की आवश्यकताओं पर और अन्य प्रयोज्य नियमों पर आधारित होगी।
- 11. ठेके पर नियुक्त संकाय को समेकित वेतन भुगतान किया जाएगा, जिसे अर्हता, अनुभव, अंतिम वेतन, आदि जैसे औचित्यों (जिन्हें दर्ज करना है) पर विचार करते हुए, समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। वे वार्षिक वेतनवृद्धि 5 प्रतिशत के हकदार होंगे। आगे, समेकित पारिश्रमिक जो भुगतान की जाती है वह जिस पद में नियुक्ति की जाती है संकाय सदस्य को उसके नियमित पद के अधिकतम वेतन मान से अधिक नहीं होगी।
- 12. ठेके पर संकाय कार्यालयीय कार्य / परिवहन के दौरान, संबंधित स्तर के नियमित कर्मचारी जिस भत्ता पाएँगे उसी भत्ता पाने अर्ह होंगे।
- 13. सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित सांविधिक नियम लागू होगी।
- 14. आयकर (टीडीएस) आदि की ओर लागू सांविधिक घटाव समेकित पारिश्रमिक से की जाएगी।
- 15. महँगाई भत्ता/ शहर प्रतिपूरक भत्ता/ घर भाडा भत्ता/ एलटीसी या किसी अन्य रिलीफ/ भत्ता / लाभ अनुमत्य नहीं होगी।
- 16. प्रति वर्ष कुल अनुमत्य आकस्मिक छुट्टी (समेकित पारिश्रमिक से घटाव के बिना) 20 दिनों से अधिक नहीं होना है।
- 17. देके संकाय को उन्हें जिस विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, के अतिरिक्त, परिसर निदेशक / कुलपित द्वारा अन्य कार्य भी दी जा सकती है।
- 18. प्रत्येक ओर से एक महीने की नोटिस पर नियुक्ति को, किसी भी कारण बताये बिना समाप्त कर सकते हैं। यह भी कि, नियुक्त किये गये व्यक्ति, किसी भी वक्त इस ठेके नियुक्ति के आधार पर, किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर पाएंगे।."
- 19. दौरा करने वाले संकाय/ घंटे आधार पर अतिथि संकाय इन नियमों के परिधि में नहीं आएँगे।

कप्तान (आई एन) ए के पालुसकर सेवानिवृत कुलसचिव [विज्ञापन—III/4/असाधारण/226/18]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY NOTIFICATION

Chennai, the 12th September, 2018

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2018/2.—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

S.No	Ordinance	Description	Executive Council Resolution
1	Ordinance 08 of	Recruitment Rules for the post of Section	EC 2015-30-23 dated 25.02.2015.
	2015	Officer.	Amended vide EC 2018-45-03
			dated 16.04.2018.
2	Ordinance 15 of	Ordinance prescribing Evaluation Process and	EC 2015-31-26 dated 26.06.2015.
	2015	procedure for Revaluation, Re-Totaling and Issue of	Amended vide EC 2018-46-20
		Photocopy of Answer Scripts for IMU's	dated 29.06.2018.
		Programmes.	
3	Ordinance 68 of	Ordinances prescribing the Qualifications required	[EC 2015-33-18 dated 23-12-
	2015	for the Teaching Staff and Principals of Affiliated	2015. Amended vide EC 2017-38-
		Institutes.	04 dated 28.03.2017.
4	Ordinance 77 of	Recruitment Rules for the post of Professor	EC 2015-33-20 dated 23.12.2015.
	2015	(Economics/ Finance and Accounting) in the School	Amended vide EC 2018-46-15
		of Maritime Management.	dated 29.06.2018.
5	Ordinance 78 of	Recruitment Rules for the post of Professor	EC 2015-33-20 dated 23.12.2015.
	2015	(Logistics & Supply Chain Management/ Port &	Amended vide EC 2018-46-15

		Shipping Management) in the School of Maritime Management.	dated 29.06.2018.
6	Ordinance 03 of 2017	Ordinance prescribing the Model Code of Conduct for the Students of IMU Campuses.	EC 2016-37-10 dated 23.12.2015. Amended vide EC 2018-46-17 dated 29.06.2018.
7	Ordinance 11 of 2017	Ordinance prescribing the composition of Examination Committee School-wise and their Functions.	EC 2017-39-10 dated 14.06.2017. Amended vide EC 2018-46-19 dated 29.06.2018.
8	Ordinance 24 of 2018	Ordinance prescribing the Revised Affiliation Fees.	EC 2014-28-12 dated 26.06.2014.
9	Ordinance 25 of 2018	Ordinance prescribing the norms for engagement of contract Staff in the non-Teaching category.	EC 2018-46-01 dated 29.06.2018.
10	Ordinance 26 of 2018	Ordinance prescribing the Eligibility Criteria for admissions to various Programmes of IMU. EC 2018-46-14 dated 29.06.2018.	
11	Ordinance 27 of 2018	Ordinance prescribing the norms for engagement of contract Faculty. EC 2018-46-23 dated 29.06.2018.	

Note: In case of discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Ordinance 08 of 2015

[EC 2015-30-23 dated 25.02.2015. Amended vide EC 2018-45-03 dated 16.04.2018]

Recruitment Rules for the post of Section Officer

1	Name of the Post	Section Officer	
2	Number of Posts	As per sanctioned strength	
3	Classificat ion	Administrative Post, Group 'B'	
4	Scale of Pay	Pay Band of Rs.9300- 34800 with a Grade Pay of Rs.4800.	
5	Whether selection post or non- selection post	Selection Post	
6	Age limit	Direct Recruitment: Age: Not more than 45 years. Promotion: Age: No Deputation: Age: Not more than 56 years. Absorption: Age: Not more than 59 years.	
7	Educational and Service qualifications prescribed for Promotees/ Deputationists/ Absorption?	Direct Recruitment: Educational Qualification: A Bachelor's Degree. Working knowledge of Information & Communication Technology. Service Qualification: At least 5 years of work experience in the area of Administration/Establishment/Finance/Vigilance/Legal/Documentation/Academic/Examination in the Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200 or equivalent in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. Promotion: Educational Qualification: A Bachelor's Degree. Working knowledge of	

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

		Information & Communication Technology.
		Service Qualification: From Senior Assistants or equivalent with atleast 8 years of regular service.
		Deputation : A person holding analogous post on regular basis (or) at least eight years' experience as Senior Assistant or equivalent post working in the area of Administration/ Establishment/ Finance/ Vigilance/Legal/Documentation/ Academic/Examination in the Pay Band of Rs.9300-34800 with a Grade Pay of Rs.4200 in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc.
		Absorption: A Deputationist who has worked as Section Officer satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.
		The same educational qualification as in the case of Promotees shall apply for Deputation/Absorption.
		The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.
8 Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/		By Promotion: 50%. By Direct Recruitment: 50%, failing which by Deputation/ Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online/Offline Screening Test and Interview.
	absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Online/Offline Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption. (Interview Only)
9	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist, what is its composition?	 (i) Registrar as Chairperson. (ii) One Campus Director nominated by the Vice Chancellor. (iii) Two nominees of the Vice Chancellor.
10	Remarks	Age of superannuation: 60 years. For Deputationists, relevant age of the sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.

Ordinance 15 of 2015

[EC 2015-31-26 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2018-46-20 dated 29.06.2018]

"Ordinance prescribing Evaluation Process and procedure for Revaluation, Re-Totaling and Issue of Photocopy of Answer Scripts for IMU's Programmes

1. Evaluation Process

- 1.1. Evaluation of Answer Scripts will be done in the respective zone assigned by the Examinations Section (HQ).
- 1.2. The Answer Scripts will be handed over by the appointed Zonal Coordinator to the examiners along with the OMR sheets for capturing the marks.
- 1.3. The examiner will give marks for each question only on the first Sheet provided in the Answer Scripts.
- 1.4. The examiner should not make any markings in the Answer Scripts as these Answer Scripts may be required to be revaluated in future. This is done to avoid the Second and Third Examiners (where required) from becoming biased by the earlier evaluations.

- 1.5. Any examiner found making markings in the Answer Script will be debarred from becoming Examiner for 1 year. The names of such debarred examiners is to be maintained at the Examination Section (HQ).
- 1.6. Each examiner should evaluate maximum 50 per day and maximum 1000 Answer Scripts in an Exam session. In case of more Answer Scripts are to be evaluated by particular Examiner either due to shortage of Faculty or for any other reason, the Zonal Coordinator shall seek special approval from the CoE.
- 1.7. The Answer Scripts of UG programmes have to be evaluated and marks for the same have to be captured on the OMR sheets. These OMR sheets have to be sent to the Examinations Section (HQ) through the Zonal Coordinator for Result processing.
- 1.8. The PG programmes will have two simultaneous evaluation of Answer Scripts. The average of these two evaluations will be the mark obtained by the student. Where there is variation of more than 15 marks out of 100 between the first and second valuation, the paper shall be sent for third valuation. The final marks shall be the average of all three valuations.
- 1.9. Exemption for double valuation for specialized subjects in PG Programmes may be given as recommended by the School Board.

2. Issue of Photocopies

- 2.1. Photocopies of answer scripts will be issued to failed candidates only, at a flat fee of Rs.80/- per subject irrespective of the number of pages and inclusive of postal charges.
- 2.2. The application is made within 3 days from the date of publication of Examination results.
- 2.3. The Semester fees shall be payable through State Bank of India's i-Collect or through any Electronic/Online mode of transfer of funds or in such other manner as may be prescribed by the University.
- 2.4. The procedure for issue Photocopy may be discontinued in future if the University decides to introduce modern technology for scanning the Answer Scripts.

3. **Revaluation Application Procedure**

- 3.1 Application for Revaluation of answer scripts will be considered only for End Semester Examinations conducted by the University for the Under Graduate programmes. Application for revaluation of Answer Scripts will not be considered for Post Graduate Examinations, Practical Examinations, Field work, internal assessment, thesis submitted in lieu of a paper and Examinations for which there is provision for two independent (double) valuations.
- 3.2 Application for Revaluation shall be made in the prescribed form and to be sent through respective campuses/colleges.
- 3.3 Revaluation can be admitted only if the candidate had failed in not more than five papers out of the total number of papers written by the candidate during that examination session.
- 3.4 Application for Revaluation should be submitted within 10 days from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.
- 3.5 Applications received after the last date prescribed will not be considered under any circumstances. Incomplete forms and forms not accompanied by relevant documents may be rejected without assigning any reason whatsoever.
- 3.6 Fee once remitted for Revaluation of answer scripts will not be refunded.

4. Revaluation Guidelines

- 4.1 The paper for Revaluation should not be valued by the same examiner who has done the first valuation.
- 4.2 The paper for Revaluation should not be revalued by any Examiner who belongs to the same campus/college where the candidate studied before appearing for that paper except where a Programme is conducted at only One Campus/College.
- 4.3 Not more than 25 papers per session should be given to an Examiner for Revaluation.
- 4.4 After the revaluation (either second or third), the marks obtained in the revaluation will be uploaded in the result sheet irrespective of the final result either pass or fail and the latest mark will be indicated in the marks sheet.
- 4.5 The mark sheets of the Candidates who had applied either for revaluation or retotaling will be issued only after the completion of the revaluation/retotaling process.
- 4.6 If the work of an Examiner leads to an increase or decrease of marks in Revaluation in more than 20% of the scripts, explanation shall be called for from the concerned Examiner through proper channel and the reply will be placed before the Vice-Chancellor for further action.
- 4.7 Where there is variation of more than 15 marks out of 100 between the first and second valuation, the paper shall be sent for third valuation. The final marks shall be the average of all three valuations.
- 4.8 All works relating to Revaluation will be treated as confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.
- 4.9 Remuneration for Revaluation will be paid at the approved rates of Indian Maritime University.
- 4.10 The Directors/Principals of the campuses/colleges should make available the Examiners required for Evaluation (including Revaluation/Re-totaling) on top priority basis on the day and date allotted by the Controller of Examinations.
- 4.11 Faculties of the Affiliated Colleges are required to attend the Evaluation (including Revaluation/Retotaling) work on top priority basis. If the Principal of an Affiliated College fails to relieve the Faculty for Evaluation (including Revaluation/Re-totaling) or the Faculty fails to attend the work of Evaluation (including Revaluation/Re-totaling), then the concerned Faculty would be debarred for three years. This would also have an adverse effect on the continuation of the Affiliation of the College.

5. **Retotaling**

- 5.1. Application for Re-totaling of answer scripts will be considered for Under Graduate Examinations, Post Graduate Examinations, other than Practical Examinations, field work, internal assessment, thesis submitted in lieu of a paper.
- 5.2. Application for Re-totaling shall be made in the prescribed form and to be sent through respective head of Institutions.
- 5.4. Fee once remitted for Re-totalling of answer scripts will not be refunded.
- 5.5. All works relating to Re-totalling will be treated, as confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.
- 5.6. Application for Re-totalling should reach the Office of the Controller of Examinations within 10 days from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.
- 5.7. The Re-totalling will be done by the Faculty to be nominated by the Controller of Examinations.
- 5.8. After the retotaling, the marks obtained in the retotalling will be uploaded in the result sheet irrespective of the final result either pass or fail and the latest mark will be indicated in the marks sheet.

6. GRACE MARKS

As per Ordinance 11 of 2017 and as amended from time to time.

This Ordinance will supersede all the earlier Ordinances in this regard."

Ordinance 68 of 2015

[EC 2015-33-18 dated 23-12-2015. Amended vide EC 2017-38-04 dated 28.03.2017]

Ordinances prescribing the Qualifications required for the Teaching Staff and Principals of Affiliated Institutes,

I. Qualifications for FACULTY in the School of Nautical Studies in Affiliated Institutes

(1)	Name of post	All Posts of Faculty	
(2)	Mode of Appointment	By Direct Recruitment	
(3)	Educational qualifications required	 (a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency; (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and (c) A pass in the Eligibility Test conducted by IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from 	
		the Eligibility Test.	
(4)	Age of superannuation	65 years.	
(5)	Remarks	 (a) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-board ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. (b) IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final. (c) Assistant Professors who are in service in Affiliated Institutes as on 01.01.2016, and who fulfil the qualifications indicated in Row 3(a) and (b) above are exempted from the Eligibility Test prescribed in Row 3(c) 	

II. Qualifications for FACULTY in the School of Marine Engineering and Technology in Affiliated Institutes

(1)	Name of post	All Posts of Faculty
(2)	Mode of Appointment	By Direct Recruitment
(3)	Educational qualifications required	 (a) MEO Class – I (Motor) Certificate of Competency; (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and
		(c) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from the Eligibility Test.
(4)	Age of superannuation	65 years.
(5)	Remarks	 (a) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-board ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. (b) IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final. (c) Assistant Professors who are in service in Affiliated Institutes as on 01.01.2016, and who fulfil the qualifications indicated in Row 3(a) and (b) above are exempted from the Eligibility Test prescribed in Row 3(c)

III. Qualifications for PRINCIPALS in Affiliated Institutes

(1)	Name of post	Principal		
(2)	Mode of Appointment	By Direct Recruitment or Promotion		
(3)	Educational and other	Category I – From Mariners without Ph.D		
qualifications required		(a) Master(Foreign Going) Certificate of Competency/MEO Class – I (Motor) Certificate of Competency; and		
		(b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level with in the meaning of STCW Convention in force; and		
		 (c) A minimum of ten years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above], 		
		(ii) Teaching Nautical Science/ Marine Engineering in a recognised maritime institution,		
		(iii) Nautical Surveyor/ Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society,		
		(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship- owning or Ship- managing company,		
		(v) Pilot in a Major Port. [or]		
		Category II - From Mariners with Ph.D		
		(a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency/MEO Class – I (Motor) Certificate of Competency; and		
		 (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level with in the meaning of STCW Convention in force; and (c) A minimum of eight years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above], 		
		(ii) Teaching Nautical Science/ Marine Engineering in a recognised maritime institution,		
		(iii) Nautical Surveyor/ Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society.		
		(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship- owning or Ship-managing company,		
		(v) Pilot in a Major Port.		
(4)	Age of superannuation	70 years.		
(5)	Remarks	(a) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-board ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate.		
		(b) IMU's decision as to –		
		(i) whether the Ph.D is in the relevant discipline;		
		(ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship- managing company or a maritime training institute should be counted or not; shall be final.		
		(c)The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service.		
		(d) If the Affiliated Institute is offering Programmes only from the School of Nautical Studies or the School of Marine Engineering and Technology, then the Principal should be qualified in the respective discipline.		
		(e)If the Affiliated Institute is offering Programmes from the School of Nautical Studies as well as the School of Marine Engineering and Technology, then the Principal can be qualified in either discipline.		

Ordinance 77 of 2015

[EC 2015-33-20 dated 23.12.2015. Amended vide EC 2018-46-15 dated 29.06.2018]

Recruitment Rules for the post of Professor (Economics/ Finance and Accounting) in the School of Maritime Management

1.	Name of the post	Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Economics/ Finance and Accounting
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Level 14 - 7 th CPC
6.	Whether Selection post or Non-	Selection Post
	selection post	
7.	Age limit	60
8.	Educational and other	Essential:
	qualifications required for Direct	a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent
	Recruitment.	grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant
		discipline.
		OR
		Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at
		UG level and professionally qualified Charted Accountant / Cost and
		Management Accountant.
		b) Ph.D in relevant discipline.
		c) A minimum of ten years of teaching/research/industry experience in a
		relevant area of which at least five years should be at the level of
		Associate Professor in a University, College or Research
		Organisation.
		Desirable:
		a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as
		per the UGC norms.
		b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection	As per IMU Statutes.
	Committee	
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for
	·	6 months of special leave that could be used for the purposes of higher
		studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and
		conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Pacarvations as par Government of India/I/ICC avidalines would be
15.	RUHAI KS	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be
		applicable. b) The arraigledate for determining the cligibility conditions shall be the
		b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the

		closing date for receipt of applications from candidates.
	c)	The educational qualifications must be from a university/institution
		recognised by Statutory Authorities.
	d)	Higher start within the pay band can be considered in deserving cases.
	e)	The relevancy of qualifications and the Screening of applications will
		be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 78 of 2015

[EC 2015-33-20 dated 23.12.2015. Amended vide EC 2018-46-15 dated 29.06.2018]

Recruitment Rules for the post of Professor (Logistics & Supply Chain Management/ Port & Shipping Management) in the School of Maritime Management

1.	Name of the post	Professor
2.	No. of posts	1
3.	Specialization	Logistics & Supply Chain Management/ Port & Shipping Management
4.	Classification	Academic Post
5.	Scale of Pay	Level 14 - 7 th CPC
6.	Whether Selection post or Non-	Selection Post
	selection post	
7.	Age limit	60
8.	Educational and other	Essential:
	qualifications required for Direct	a) Good academic record with at least 55% marks or an equivalent
	Recruitment.	grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant
		discipline.
		OR
		Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at
		UG level and professionally qualified Charted Accountant / Cost and
		Management Accountant.
		b) Ph.D in relevant discipline.
		c) A minimum of ten years of teaching/research/industry experience in a
		relevant area of which at least five years should be at the level of
		Associate Professor in a University, College or Research
		Organisation.
		Desirable:
		a) Research publications such as books/ research papers/policy papers as
		per the UGC norms.
		b) Experience of guiding Ph.D scholars.
9.	Period of Probation	1 year
10.	Composition of Selection	As per IMU Statutes.
	Committee	
11.	Additional Service benefits	On completion of every 3 years of service in IMU, a Faculty is eligible for
		6 months of special leave that could be used for the purposes of higher

		studies / industrial exposure / sailing / research subject to IMU terms and conditions.
12.	Age of superannuation	65 Years
13.	Remarks	a) Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable.
		b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.
		c) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities.
		d) Higher start within the pay band can be considered in deserving cases.
		e) The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee.

Ordinance 03 of 2017

[EC 2016-37-10 dated 23.12.2015. Amended vide EC 2018-46-17 dated 29.06.2018]

"Ordinance prescribing the Model Code of Conduct for the Students of IMU Campuses

- 1. This Model Code of Conduct shall apply to all students of IMU Campuses whether admitted prior to the commencement of this Code or after, and will apply to all acts committed by them whether inside the Campus or outside.
- 2. No student or groups of students of IMU Campuses shall indulge in any of the following acts amounting to misconduct and indiscipline:
 - (i) Ragging in any form.
 - (ii) Sexual harassment of any kind which shall also include: Unwelcome sexual proposition/advancements, sexually graphic comments of a body, unwelcome touching, patting, pinching or leering of parts of the body or persistent offensive or unwelcome sexual jokes and/or comments.
 - (iii) Eve-teasing or disrespectful behaviour or any misbehaviour with a girl student, woman staff member/visitor.
 - (iv) Offences of atrocities against Persons with Disability: -
 - (a) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a person with disability in any place within public view;
 - (b) assaults or uses force to any person with disability with intent to dishonour him or outrage the modesty of a woman with disability;
 - (c) having the actual charge or control over a person with disability voluntarily or knowingly denies food or Jfluids to him or her;
 - (d) being in a position to dominate the will of a child or woman with disability and uses that position to exploit her sexually;
 - (e) voluntarily injures, damages or interferes with the use of any limb or sense or any supporting device of a person with disability

 For the offences (iv) (a) to (e) shall be punishable as per the Rights of a Persons with Disabilities Act, 2016.

- (v) Arousing communal, caste or regional feeling or creating disharmony among students or employees.
- (vi) Consuming or possessing dangerous drugs, liquor or other intoxicants.
- (vii) Smoking in public areas.
- (viii) Indulging in acts of gambling.
- (ix) Any act of moral turpitude.
- (x) Damaging or defacing or unauthorised shifting of any property of the University or the property of any employee of the University.
- (xi) Breaking open locked rooms, cupboards, safes, lockers and so on, and unauthorised locking of open rooms of the University.
- (xii) Causing disturbance to and hindering the smooth functioning of classrooms, libraries, laboratories, workshops, canteens, mess, hostels or office.
- (xiii) Use of abusive, defamatory, derogatory or intimidatory language against any student or employee of the University or visitor to the University.
- (xiv) All acts of physical violence including pelting of stones and other objects.
- (xv) All forms of coercion and intimidation such as wrongful confinements, gheraos, laying siege, sit-ins, blocking entry and exit, prevention of normal movement of traffic, or any variation of the same, which disrupt the normal academic and administrative functioning of the University and which deter the Officers, Faculty and other employees of the University from discharging their duty, and which disturb their right to privacy and free movement.
- (xvi) Not sending of an individual representation to higher authorities of University through proper channel.
- (xvii) Making joint or anonymous representation to the University Authorities
- (xviii) Deliberate boycott of classes, practicals and field visits as part of protest.
- (xix) All forms of demonstration which have the effect of bringing down the public image of the University including shouting of slogans, display of condemnatory placards, burning of effigies, taking out protest marches, resorting to hunger strikes and so on.
- (xx) Talking to the media or publishing/posting of content on the Internet including social media and You Tube with the intention to slander or bring disrepute to the University, or any student or section of students, or any Officer, Faculty or other employee of the University.
- (xxi) Bringing any political or other outside influence in respect of academic or disciplinary matters pertaining to the University.
- (xxii) Furnishing false certificates or false information in any manner to the University.
- (xxiii) Committing forgery, tampering with the Identity Card or University records, impersonation, misusing University property (movable or immovable), documents and records, tearing of pages, defacing, burning or in any way destroying the books, journals, magazines and any material of library or unauthorized photocopying or possession of library books, journals, magazines or any other material.
- (xxiv) Theft of movable property belonging to the University or any person.
- (xxv) Using unfair means in any examination and committing other examination-related offences.
- (xxvi) Indulging in plagiarism in projects, assignments and papers submitted by students as a part of their academic activities.
- (xxvii) Unauthorized occupation of the hostel room or any other University premises and unauthorized acquisition and use of University property in one's hostel room or elsewhere.

- (xxviii) Causing or colluding in the unauthorized entry of any person into the Campus or in the unauthorized occupation of any portion of the University premises, including hostels, by any person.
- (xxix) Not joining the Campus on the opening day of a semester and overstaying on leave without valid justification.
- (xxx) Leaving the Campus without prior permission of the competent authority, and staying outside the Campus beyond the permitted timings.
- (xxxi) Not complying with the stipulations of Parade, Roll Call, Fall-in-Line and Physical Training wherever applicable.
- (xxxii) Not maintaining due decorum in class rooms, libraries, laboratories, workshops, hostels, mess and canteen.
- (xxxiii) Improper behaviour while on tour or excursion.
- (xxxiv) Violation of dress code of IMU.
- (xxxv) Any other offence under the law of land.
- (xxxvi) Non-compliance with any instructions issued by the Vice Chancellor or any other Competent Authority from time to time.
- 3. A student violating any provisions of this Model Code of Conduct shall be liable for disciplinary action under the relevant laws of IMU.
- 4. A copy of the Model Code of Conduct should be sent to every student along with the letter of admission at the time of his joining the University. His letter of acceptance of admission would amount to an automatic acceptance of the Model Code of Conduct and various laws of the University."

Ordinance 11 of 2017

[EC 2017-39-10 dated 14.06.2017. Amended vide EC 2018-46-19 dated 29.06.2018]

Ordinance prescribing the composition of Examination Committee School-wise and their Functions

1. The University will have Examination Committee's School-wise. The composition of the Committee will be as per the following two Categories:

A] Schools where Programmes are also conducted in Affiliated Institutes besides IMU Campuses:

1.	The Vice Chancellor	Chairman
2.	One Faculty/HoD from each Department in each School from one of the IMU Campuses to be nominated by the Vice Chancellor	Member
3.	The HOD of each Department in each School from any 5 Affiliated Institutes Nominated by the Vice Chancellor in rotation	Members
4.	Controller of Examinations	Member Secretary

B] Schools where Programmes are conducted only in IMU

1.	The Vice Chancellor	Chairman
2.	The HOD of each Department in each School from IMU	Member

3.	At least 2 Faculty nominated by the Vice Chancellor from the same School	Members
4.	Controller of Examinations	Member Secretary

- 2. The nominated members shall hold office for a period of two years and shall be eligible for reappointment.
- 3. One-third of the members shall form quorum for a meeting of the Committee
- 4. Functions of this Committee will include the following:
 - (a) The Committee shall consider & approve the consolidated results and arrange for the declaration of the examination results of their respective School.
 - (b) The Committee shall have power to award grace marks. Provided that no student shall be awarded more than 5 marks as grace marks in a semester for all the subjects in that put together for that semester.
 - (c) The Committee shall follow the following guidelines for awarding of Grace Marks:
 - (i) Where percentage of students passing the examinations reaches close to 100% or nearer to 100%.
 - (ii) Where the number of student(s) who will clear all papers in the particular exam is large.
 - (iii) Where the number of arrear students are getting benefitted (Pass) by award of grace marks.
 - (iv) Any other case where there is scope for consideration for award of grace marks as the Committee deems fit.
 - (d) Such other duties and functions as may be assigned to it by the Academic Council: Provided that the Examination Committee may delegate any or all of its powers mentioned above to any officer of the University."

Ordinance 24 of 2018

[EC 2014-28-12 dated 26.06.2014]

Ordinance prescribing the Revised Affiliation Fees

- (i) *Initial Affiliation fee* to be collected as an one-time fee at the time of grant of provisional affiliation for a course at the rates indicated below:
- (a) For DNS course leading to B.Sc (Nautical):

Sanctioned strength of students	Initial Affiliation Fee
	(in Rupees)
Up to 80	2,00,000
81 – 160	4,25,000
161 – 240	6,75,000
241 and above	9,50,000

(b) For other U.G Degree courses (per course):

Sanctioned strength of students	Initial Affiliation Fee
	(in Rupees)
Up to 40	1,50,000
41 – 80	3,25,000
81 – 120	5,25,000
121 and above	7,50,000

(c) For P.G Courses (per course):

Sanctioned strength of students	Initial Affiliation Fee
	(in Rupees)
Upto 20	3,00,000
21 – 40	6,00,000

- (ii) Provisional Affiliation will be granted initially for a period of 3 years, and later extended for a period of 3 years at a time. There will be a flat Continuation Fee of Rs.50,000 (irrespective of sanctioned strength) to be paid every 3 years at the time of extension/continuation of provisional affiliation.
- (iii) At the end of 9 years an Affiliated Institute should be eligible to apply for permanent affiliation, but the earliest an Affiliated Institute can get Permanent Affiliation is when it completes 10 years, the period being counted from the date of affiliation of the Institute to IMU.
- (iv) For permanent affiliation, the Institute must pay a flat Permanent Affiliation Fee of Rs.10,00,000 per course for all courses (DNS, U.G, P.G). When an Institute gets permanent affiliation, there will be no further Continuation Fees.
- (v) An Affiliated Institute will be eligible to apply for Autonomous Status only after it gets permanent affiliation.
- (vi) The revised fee under this ordinance shall be applicable retrospectively from the date of grant of affiliation to the respective Institutes.

Note 1: The Notification published under Para 4.23 and the section Affiliation Fees of Annexure XII of the Chapter 1 of Additional Academic Ordinances published in the Gazette 38 dated 01.02.2010 is hereby repealed.

Note 2: The Ordinance 24 of 2018 published in the Gazette No. 183 dated 19.07.2018 is also hereby repealed.

Ordinance 25 of 2018

[EC 2018-46-01 dated 29.06.2018]

"Ordinance prescribing the norms for engagement of contract Staff in the non-Teaching category

- All engagements of contract staff in the non-Teaching category shall be done with the approval of the Executive Council.
- 2. Relevant existing recruitment rules (regular/contract) as applicable shall be followed.
- 3. No contract staff above the age of 65 years shall be engaged.
- 4. Reservation policy of the Central Government shall apply to the contract positions.
- 5. The Selection Committee for contract post shall be approved by the Vice Chancellor. The selection process may consist of test and/or personal interview.
- 6. All contract staff shall enter into a contract with IMU.
- 7. Engagement of contract staff in Non-teaching Category shall be for a duration of one (1) year extendable by one (1) year each subject to satisfactory performance and subject to maximum duration of 3 years. No extension shall be provided beyond three (3) years under any circumstances. However the candidate shall be eligible for engagement under a fresh contract.
- 8. The contract staff shall be paid a monthly consolidated lump sum amount, which shall be fixed by the Selection Committee, by taking into consideration of justifications (that must be recorded) like qualification, experience, the last drawn emoluments, etc. They shall be eligible for annual increment @ 5%. Further, the consolidated remuneration paid will not exceed the emoluments at the maximum of the scale of the regular post against which appointed.
- Contract staff shall during official engagement / travel be entitled to same allowance as that of Regular Staff at the corresponding level.
- 10. Statutory requirements as prescribed by the provisions on Provident Fund Act, will be applicable.
- 11. Applicable statutory deductions towards Income tax (TDS) etc. will be made from the consolidated remuneration.
- 12. DA/CCA/HRA/LTC or any other relief/ allowances / benefits are not admissible.
- 13. Total casual leave admissible shall not exceed 20 days (without any deduction of consolidated remuneration) per annum.
- 14. Contract staff can be assigned, in addition to the specific task for which appointed, any other duties by the Campus Director / Vice Chancellor.

15. The engagement can be discontinued with one month notice by either side without assigning any reason. Also, the appointee shall not have any claim whatsoever for regular appointment on any position on the basis of contract appointment."

Ordinance 26 of 2018

[EC 2018-46-14 dated 29.06.2018]

Ordinance prescribing the Eligibility Criteria for admissions to various Programmes of IMU

1. Eligibility Criteria for Admissions to Various Post Graduate Programmes of IMU.

A	A. 2-Year M.Tech (Marine Engineering and Management)		
(i)	Eligibility	BE/B.Tech in Marine Engineering/ Mechanical Engineering/ Naval Architecture with at least 60% marks from a recognized University. OR	
		Associate Member of Institution of Engineers Part A and B in Mechanical Engineering with at least 60% marks (by examination). OR	
		MEO Class I Certificate of Competency Issued by Govt. of India	
		Note: Candidates with GATE Scores in Marine Engineering/ Mechanical Engineering/ Naval Architecture are exempted from IMU's CET, however, they will be considered for admissions only against the residuary seats.	
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction.	
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks	
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.	
В	. 2-Year M.Sc (Comme	rcial Shipping and Logistics)	
(i)	Eligibility	Category-I: A Bachelor's Degree in any discipline with minimum of 50% marks from recognized universities and minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th / UG Degree. Candidates under this category must appear for the IMU's Common Entrance Test (CET) and qualify in order to be eligible for admission to this Programme.	
		Category-II: 50% of seats in each IMU Campus where M.Sc (Commercial Shipping & Logistics) is being offered shall be reserved for Seafarers with Master (FG) Certificate of Competency or MEO Class I Certificate of Competency. There will be no CET for Category-II candidates. If the number of applications from qualified Seafarers is less than the number of reserved seats, the vacant seats will be allotted to the candidates from Category-I. If the number of applications from qualified seafarers is greater than the number of reserved seats, then IMU will conduct a separate Offline Entrance Test for selecting Category-II candidates for the Programme.	
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction.	
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.	
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.	

C	C. 2-Year MBA (International Transportation and Logistics Management)		
(i)	Eligibility	A Bachelor's Degree in any discipline with 50% marks from a recognized	
		universities. A minimum of 50% marks in English subject in 10th/ 12th/ UG Degree.	
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction.	
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English	
	candidates (if any)	Marks.	

Ī	(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness
			Certificate from Registered Medical Practitioner.

D	D. 2-Year MBA (Port & Shipping Management)		
(i)	Eligibility	A Bachelor's Degree in any discipline with 50% marks from a recognized	
		universities. A minimum of 50% marks in English subject in 10th/ 12th/ UG Degree.	
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction.	
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English	
	candidates (if any)	Marks.	
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness	
		Certificate from Registered Medical Practitioner.	

E	E. 2-Year M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)		
(i)	Eligibility	Engineering Graduate in Mechanical/ Civil/ Marine/ Naval Architecture or equivalent	
		with 60% aggregate marks.	
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction.	
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks.	
	candidates (if any)		
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness	
		Certificate from Registered Medical Practitioner.	

F	F. 2-Year M.Tech (Dredging and Harbour Engineering)			
(i)	Eligibility	Engineering Graduate in Mechanical/ Civil/ Marine/ Naval Architecture or equivalent		
		with 60% aggregate marks.		
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction.		
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks.		
	candidates (if any)			
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness		
		Certificate from Registered Medical Practitioner.		

2. <u>Eligibility Criteria for Admissions to Post Graduate Diploma Programme of IMU</u>

A	A. Post Graduate Diploma in Marine Engineering		
(i)	Eligibility	Graduation in B.E. (Mechanical) Engineering / Naval Architecture disciplines from	
		recognized institutes with minimum marks of 50% in final year and with minimum	
		50% marks in English language at 10th or 12th or in Degree Exam.	
(ii)	Age Criteria	Maximum age 28 Years	
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the	
		Academic Session.	
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English	
	candidates (if any)	Marks.	
		Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of	
		the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled	
		Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the	
		Scheduled Tribes of those island.	
		Maximum age relaxation is for five (5) years.	
(iv)	Eligibility - Medical	Physical Fitness	
		1. Candidates seeking admission to PGDME must be physically fit and should meet	
		the medical requirements as specified by Director General of Shipping, Mumbai.	
		2. At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai.	
		Eye sight	
		1. For the above 4 Marine Programmes, there shall be no evidence of any morbid	

condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of
aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion
faculty and full field of vision in both eyes).
2. Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react
normally to light and accommodation.
3. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart.
4. (a) For DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science), B.Sc (Nautical Science)
and B.Sc(Maritime Science) Programmes: Distance Vision unaided 1.0*(6/6) in
better eye and 0.67*(6/9) in other eye.
(b) For B.Tech (Marine Engineering) Programme: Distance Vision unaided
0.5*(6/12) in each eye or $0.67*(6/9)$ in better eye and $0.33*(6/18)$ in other eye.

3. <u>Eligibility Criteria for Admissions to Various Undergraduate Programmes of IMU.</u>

A	A. 3-Year BBA (Logistics, Retailing and E-Commerce)		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (Minimum 60% of Aggregate marks in any stream and minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th Examination.)	
		Note: Percentage of the Aggregate marks will be calculated by considering the marks scored in English subject plus the marks scored in Major Subjects (excluding other	
		languages).	
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 17 years	
		(ii) Maximum age 25 Years	
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the	
		Academic Session.	
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English	
	candidates (if any)	Marks. Maximum age relaxation is for five (5) years.	
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness	
		Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of certificate verification.	

B. 4-	B. 4-Year B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60% and minimum of 50% marks in English subject in 10th /	
		12th Examination.).	
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 17 years	
		(ii) Maximum age 25 Years	
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the	
		Academic Session.	
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English	
	candidates (if any)	Marks. Maximum age relaxation is for five (5) years.	
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness	
		Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate verification.	

C. 3-	C. 3-Year B.Sc (Ship Building and Repair)		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60% and minimum of 50% marks in English subject in 10th /	
		12th Examination.).	
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 17 years	
		(ii) Maximum age 25 Years	
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the	
		Academic Session.	
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English	
	candidates (if any)	Marks. Maximum age relaxation is for five (5) years.	
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness	
		Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate verification.	

D. 4-Year B.Tech (Marine Engineering).		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60% and minimum of 50% marks in English subject in 10th or
		12th Examination.) from recognized boards.
(ii)	Age Criteria	i) Minimum age 17 years

		ii) Maximum age 25 Years
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the
		Academic Session.
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English
	candidates (if any)	Marks.
		Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of
		the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled
		Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the
		Scheduled Tribes of those island.
		Maximum age relaxation is for five (5) years.
(iv)	Eligibility - Medical	Physical Fitness
		1. Candidates seeking admission to the following 4 Marine Programmes:
		(i) DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science)
		(ii) B.Sc (Nautical Science),
		(iii) B.Sc (Maritime Science) and
		(iv) B.Tech (Marine Engineering),
		must be physically fit and should meet the medical requirements as specified
		by Director General of Shipping, Mumbai.
		2. At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of
		medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of
		Shipping, Mumbai.
		Simpping, ividinodi.
		Eye sight
		1. For the above 4 Marine Programmes, there shall be no evidence of any morbid
		condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision
		(Fusion faculty and full field of vision in both eyes).
		2. Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react
		normally to light and accommodation.
		3. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart.
		4. (a) For DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science), B.Sc(Nautical Science)
		and B.Sc(Maritime Science) Programmes: Distance Vision unaided 1.0*(6/6)in
		better eye and 0.67*(6/9) in other eye.
		(b) For B.Tech(Marine Engineering) Programme: Distance Vision unaided
		0.5*(6/12) in each eye or $0.67*(6/9)$ in better eye and $0.33*(6/18)$ in other eye.
		0.5 (6/12) in each eye of 0.07 (6/5) in better eye and 0.55 (6/16) in other eye.

E. 3-Year B.Sc (Maritime Science)		
E. 3	- 1 ear b.Sc (Maritime Sci	ence)
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60% and minimum of 50% marks in English subject in 10th or
		12th Examination.)
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 17 years
		(ii) Maximum age 25 Years
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the
		Academic Session.
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English
	candidates (if any)	Marks.
		Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of
		the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled
		Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the
		Scheduled Tribes of those island.
		Maximum age relaxation is for five (5) years.
(iv)	Eligibility - Medical	Physical Fitness
		1. Candidates seeking admission to the following 4 Marine Programmes:
		(i) DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science)
		(ii) B.Sc (Nautical Science),
		(iii) B.Sc (Maritime Science) and
		(iv) B.Tech (Marine Engineering),

must be physically fit and should meet the medical requirements as specified by Director General of Shipping, Mumbai. 2. At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of
Shipping, Mumbai. Eve sight 1. For the above 4 Marine Programmes, there shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes).
 Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart.
 4. (a) For DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science), B.Sc(Nautical Science) and B.Sc(Maritime Science) Programmes: Distance Vision unaided 1.0*(6/6)in better eye and 0.67*(6/9) in other eye. (b) For B.Tech (Marine Engineering) Programme: Distance Vision unaided 0.5*(6/12) in each eye or 0.67*(6/9) in better eye and 0.33*(6/18) in other eye.

F. 3-	Year B.Sc (Nautical Scien	
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60% and minimum of 50% marks in English subject in 10th or 12th Examination.)
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 17 years(ii) Maximum age 25 YearsThe crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the Academic Session.
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks. Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the Scheduled Tribes of those island. Maximum age relaxation is for five (5) years.
(iv)	Eligibility - Medical	Physical Fitness 1. Candidates seeking admission to the following 4 Marine Programmes: (i) DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science) (ii) B.Sc (Nautical Science), (iii) B.Sc (Maritime Science) and (iv) B.Tech (Marine Engineering), must be physically fit and should meet the medical requirements as specified by Director General of Shipping, Mumbai. 2. At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai. Eve sight 1. For the above 4 Marine Programmes, there shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes).

 Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart.
 4. (a) For DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science), B.Sc(Nautical Science) and B.Sc(Maritime Science) Programmes: Distance Vision unaided 1.0*(6/6)in better eye and 0.67*(6/9) in other eye. (b) For B.Tech (Marine Engineering) Programme: Distance Vision unaided 0.5*(6/12) in each eye or 0.67*(6/9) in better eye and 0.33*(6/18) in other eye.

		$0.5^{*}(0/12)$ in each eye of $0.67^{*}(0/9)$ in better eye and $0.55^{*}(0/18)$ in other eye.
G. 1.	Vear DNS course leadin	g to B.Sc (Applied Nautical Science)
(i)	Eligibility	(i) 10+2/equivalent (PCM-60%)
		OR (ii) P. Sa (PCM)/ P. Sa (Flastronias with Physics as individual subject in one of the
		(ii) B.Sc (PCM)/ B.Sc (Electronics with Physics as individual subject in one of the years); Marks not less than 55%
		OR
		(iii) B.E./B.Tech from IIT or college recognised by AICTE; Marks not less than 50%
		Note: English marks are to be 50% or more in anyone of the above examinations.
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 17 years
		(ii) Maximum age 25 Years
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the
,,,,,	D 1 1 2 2 2 2 2 2 2	Academic Session.
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English
	candidates (if any)	Marks. Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of
		the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled
		Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the
		Scheduled Tribes of those island.
		Maximum age relaxation is for five (5) years.
(iv)	Eligibility - Medical	Physical Fitness
		1. Candidates seeking admission to the following 4 Marine Programmes:
		(i) DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science)
		(ii) B.Sc (Nautical Science),
		(iii) B.Sc (Maritime Science) and
		(iv) B.Tech (Marine Engineering),
		must be physically fit and should meet the medical requirements as specified by
		Director General of Shipping, Mumbai.
		2. At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of
		medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of
		Shipping, Mumbai.
		Eye sight
		1. For the above 4 Marine Programmes, there shall be no evidence of any morbid
		condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of
		aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion
		faculty and full field of vision in both eyes).
		2. Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react
		normally to light and accommodation.
		3. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart.
		4. (a) For DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science), B.Sc (Nautical Science)
		and B.Sc (Maritime Science) Programmes: Distance Vision unaided 1.0*(6/6)in
		better eye and 0.67*(6/9) in other eye.
		(b) For B.Tech(Marine Engineering) Programme: Distance Vision unaided
		0.5*(6/12) in each eye or $0.67*(6/9)$ in better eye and $0.33*(6/18)$ in other eye.

4. <u>Eligibility Criteria for Lateral Entry Admissions to Various Undergraduate Programmes of IMU</u>

A	A. 2nd Year B.Tech (Marine Engineering)		
(i)	Eligibility	Candidates with at least 55% marks overall in: 3-years Diploma in Marine /Mechanical/Electrical/Electrical & Electronics Engineering [OR] 4-years Diploma in shipbuilding Engineering from any Institute approved by AICTE or State Board of Technical Education	
		and a minimum of 50% marks in English subject in 10th/12th/Diploma Examination. The candidate should have completed the diploma within its stipulated duration of 3 years	
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 18 years. (ii) Maximum age 25 Years.	
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the Academic Session.	
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.	
		Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the Scheduled Tribes of those island.	
(iv)	Eligibility - Medical	Maximum age relaxation is for five (5) years. Physical Fitness	
		1. Candidates seeking admission to the following 4 Marine Programmes: (i) DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science) (ii) B.Sc (Nautical Science), (iii) B.Sc (Maritime Science) and (iv) B.Tech (Marine Engineering), must be physically fit and should meet the medical requirements as specified by	
		Director General of Shipping, Mumbai.	
		2. At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai.	
		Eye sight 1. For the above 4 Marine Programmes, there shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes).	
		2. Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation.	
		3. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart.	
		 4. (a) For DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science), B.Sc(Nautical Science) and B.Sc (Maritime Science) Programmes: Distance Vision unaided 1.0*(6/6) in better eye and 0.67*(6/9) in other eye. (b) For B.Tech (Marine Engineering) Programme: Distance Vision unaided 	
		0.5*(6/12) in each eye or $0.67*(6/9)$ in better eye and $0.33*(6/18)$ in other eye.	

B. 21	B. 2nd Year of B.Sc (Nautical Science)		
(i)	Eligibility	1-year Diploma in Nautical Science (DNS) programme with 60% marks overall and a	

		minimum of 50% marks in English subject in 10th/12th Examination.
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 18 years.
()	8	(ii) Maximum age 25 Years.
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the
		Academic Session.
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English
	candidates (if any)	Marks.
		Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of
		the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled
		Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the
		Scheduled Tribes of those island.
		Maximum age relaxation is for five (5) years.
(iv)	Eligibility - Medical	Physical Fitness
		3. Candidates seeking admission to the following 4 Marine Programmes:
		(i) DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science)
		(ii) B.Sc (Nautical Science),
		(iii) B.Sc (Maritime Science) and
		(iv) B.Tech (Marine Engineering),
		must be physically fit and should meet the medical requirements as specified by
		Director General of Shipping, Mumbai.
		4. At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of
		medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of
		Shipping, Mumbai.
		Eve sight
		5. For the above 4 Marine Programmes, there shall be no evidence of any morbid
		condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of
		aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion
		faculty and full field of vision in both eyes).
		6. Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation.
		7. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart.
		8. (a) For DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science), B.Sc (Nautical Science)
		and B.Sc (Maritime Science) Programmes: Distance Vision unaided 1.0*(6/6) in
		better eye and 0.67*(6/9) in other eye.
		(b) For B.Tech (Marine Engineering) Programme: Distance Vision unaided
		0.5*(6/12) in each eye or $0.67*(6/9)$ in better eye and $0.33*(6/18)$ in other eye.

C. 2n	C. 2nd Year B.Tech (Naval Architecture & Ocean Engineering)				
(i)	Eligibility	Candidates with 60% marks in:			
		4-year Diploma in Ship Building Engineering from the Institute of Ship Building			
		Technology, Goa.			
		[OR]			
		3-year Diploma in Naval Architecture and Offshore Engineering from the AMET			
		University, Chennai			
		[OR]			
		3-year Diploma in Mechanical Engineering/Civil Engineering from any Institute			
		approved by AICTE			
		and a minimum of 50% marks in English subject in 10th/12th Examination.			
		The candidate should have completed the diploma within its stipulated duration of			
		4 years or 3 years as the case may be.			
(ii)	Age Criteria	(i) Minimum age 18 years.			
		(ii) Maximum age 26 Years.			
		The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the			
		Academic Session.			
(iii)	Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English			

	candidates (if any)	Marks. Maximum age relaxation is for five (5) years.
(iv)	Eligibility - Medical	All Candidates who qualify will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate Verification.

Eligibility	B.Sc (Ship-building and Repair) with at least 60% marks overall and a minimum of
	50% marks in English subject in 10th/12th Examination.
	The candidate should have completed the degree within the stipulated period of 3
	years.
Age Criteria	(i) Minimum age 19 years.
	(ii) Maximum age 27 Years.
	The crucial date to calculate the age will be from the date of commencement of the
	Academic Session.
Relaxation for SC/ST	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English
candidates (if any)	Marks.
	Maximum age relaxation is for five (5) years.
Eligibility - Medical	All Candidates who qualify will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate Verification.
	Relaxation for SC/ST candidates (if any)

Ordinance 27 of 2018

[EC 2018-46-23 dated 29.06.2018]

Ordinance prescribing the norms for engagement of contract Faculty.

- 1. Engagements of Faculty on contract basis shall be made by the Executive Council against sanctioned posts (unfilled regular/ contract).
- 2. Educational qualifications for Faculty (on contract) shall be same as that of regular posts in the concerned discipline.
- 3. The maximum entry age for engagement of Faculty on contract is 62 years.
- 4. Reservation and Relaxation in qualifications shall apply as per Government of India rules which are in force as amended from time to time.
- 5. The Selection Committee norms for engagement of Faculty on contract basis shall be same as those of Regular posts under Statute 21.
- 6. The selection process may consist of personal interview and making a demo lecture before the Selection Committee. In case of large number of applicants, a screening test shall be conducted in IMU HQ/ Campuses to shortlist candidates. The candidates who pass the screening test would be called for personal interview. The shortlisting of applications and decision to conduct a screening test shall be recommended by a scrutiny committee, constituted with the approval of Vice Chancellor.
- 7. Faculty member engaged under this Ordinance shall enter into a contract with IMU.
- 8. The Performance appraisal of the faculty members shall be based on the Annual Performance Report as per the format prescribed by IMU.
- 9. The duration of the contract engagements shall be initially for a period of one year under Statute 23. The contract can be extended for a maximum of two more instances (one year at a time) upon the recommendations of a committee constituted by the Campus Director. However the extension is subject to IMU's requirements.
- 10. At the end of each 3 year tenure, a contract Faculty shall be eligible upon his / her application for re-engagement for additional tenure (renewable annually), provided a review of the performance by the selection committee as indicated in Para 4 above finds the candidate suitable. A fresh contract shall be entered into by the candidate and IMU. However, the re-engagement is subject to IMU's requirements and other applicable norms.

- 11. The Faculty member engaged on contract shall be paid a consolidated salary which shall be fixed by the Selection Committee, by taking into consideration of justifications (that must be recorded) like qualification, experience, the last drawn emoluments, etc. They shall be eligible for annual increment @ 5%. Further, the consolidated remuneration paid to contract Faculty member will not exceed the emoluments at the maximum of the scale of the regular post against which appointed.
- 12. Contract Faculty member shall during official engagement / travel be entitled to same allowance as that of Regular Faculty at the corresponding level.
- 13. Statutory requirements as prescribed by the provisions on Provident Fund Act, will be applicable.
- 14. Applicable statutory deductions towards Income tax (TDS) etc. will be made from the consolidated remuneration.
- 15. DA/CCA/HRA/LTC or any other relief/ allowances / benefits are not admissible.
- 16. Total casual leave admissible shall not exceed 20 days (without any deduction of consolidated remuneration) per annum.
- 17. Faculties engaged on contract basis can be assigned, in addition to the specific task for which appointed, any other duties by the Campus Director / Vice Chancellor.
- 18. The engagement can be discontinued with one month notice by either side without assigning any reason. Also, the appointee shall not have any claim whatsoever for regular appointment on any position on the basis of contract appointment.
- 19. Engagement of Visiting Faculty/Guest Faculty on hourly basis will not come under the purview of these rules.

CAPT (IN) A K PALUSKAR (RETD.), Registrar [ADVT.-III/4/ Exty./226/18]